BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 186 of 2026
Kapil and Ors. Vs. State of Uttar Pradesh and Ors.

INDEX

S.No.	Particulars	Pages
1.	Action Taken Report on behalf of the District Magistrate, Bagpat	
2.	Annexure 01 Copy of the letter dated 06.02.2026	
3.	Annexure 02 Copy of the letter dated 17.01.2026	
4.	Annexure 03 Copy of the order dated 19.02.2026	
5.	Annexure 04 Copy of the order dated 26.02.2026	
6.	Annexure 05 Copy of the order dated 01.04.2026	
7.	Annexure 06 Copy of the order investigation report Date 25.03.2026	
8.	Annexure 07 Copy of the notice dated 01.04.2026	
9.	Annexure 08 Copy of the Acknowledgement dated 20.04.2026	
10.	Annexure 09 Copy of the Acknowledgement dated 20.04.2026	

11. Annexure 10
    Copy of the Acknowledgement dated 20.04.2026

12. Annexure 11
    Copy of the Acknowledgement dated 20.04.2026

13. Annexure 12
    Copy of the investigation report dated 28.02.2026

14. Annexure 13
    Copy of the notice dated 20.02.2026

15. Annexure 14
    Copy of the Acknowledgement dated 19.03.2026

16. Annexure 15
    Copy of the investigation report dated 09.03.2026

17. Annexure 16
    Copy of the notice dated 12.03.2026

18. Annexure 17
    Copy of the Acknowledgement dated 07.04.2026

19. Annexure 18
    Copy of the investigation report dated 30.03.2026

20. Annexure 19
    Copy of the investigation notice dated 15.04.2026

21. Annexure 20
    Copy of the letter dated 23.03.2026

22. Annexure 21
Copy of the letter dated 29.01.2026

23. Annexure 22
Copy of the investigation report
Dated 15.04.2026

24. Annexure 23
Copy of the letter dated 28.06.2025
& 28.01.2026

25. Annexure 24
Copy of the letter dated 13.04.2026

26. Annexure 25
Copy of the office memorandum
Dated 01.04.2026

Filed by

[MUKESH VERMA]
Advocate for D.M. Bagpat
Ch. No. 50, Old Block
Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 30.04.2026

Original Application No. 186/2026
Kapil & Ors. Applicant Versus State of Uttar Pradesh & Ors. Respondent(s)

(Action Taken Report)

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 186/2026 में दिनांक 24.03.2026 को निम्न आदेश पारित किये गये है:—

1. In this Original Application, the applicant has made allegation related to rampant, unauthorized and illegal sand mining by the Respondent No. 9-M/s Gaurav Builders. The applicant has pleaded that the Environmental Clearance has been issued for the sand mining at Gata No. 1/2 Village-Naithala Khadar, Tehsil Baghpat, District Baghpat, Uttar Pradesh for the leased area of 12.45 hectare for a period of 6 months.
2. The plea of the applicant is that the Respondent No. 9 has started large scale illegal mining in the river Yamuna at Village Naithala Khadar. Learned counsel appearing for the applicant referring to the photographs filed as Annexure A-2 has submitted that the Respondent No. 9 is using the poclain machines to carry out the sand mining which is not permissible. He has further submitted that the in-stream mining is being done by the Respondent No. 9 and he is even changing the course of the river. In this regard, he has referred to the photographs placed on record as Annexure A-3. He has further submitted that the sanction quantity of sand mining as per the EC dated 17.01.2026 Annexure A-1 is 1,86,750 m3 for 6 months, but the Respondent No. 9 has extracted the sanctioned sand quantity within 15 days from starting the mining operation. Now, he is going beyond the sanction limit and carrying of the illegal mining. He has further submitted that the complaint dated 11.02.2026 and 23.02.2026 were made to the District Magistrate, Baghpat but till now no action has been taken by the District Magistrate.
3. The OA raises substantial issue relating to compliance of environmental norms.
4. Issue notice to the respondents.
5. Ms. Priyanka Swami, learned counsel accepts notice on behalf of the Respondent No. 1 to 5 & 7 and seeks four weeks' time to file the reply.
6. The applicant is directed to serve the remaining respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.
7. Counsel for the applicant is directed to supply a copy of the OA along with all the Annexures to counsel for the State of Uttar Pradesh who has accepted notice today within two days.
8. Having regard to the seriousness of the issue involved in the matter we also constitute a Joint Committee comprising of the representative of RO MoEF&CC Lucknow, representative of the Member Secretary-UPPCB and District Magistrate-Baghpat. District Magistrate-Baghpat will act as a nodal agency in the Joint Committee. The Joint Committee will visit the site ascertain the extent of sand mining done by the Respondent No. 9 and will also ascertain the compliance of the EC condition by the Respondent No. 9 and if the violation is found the committee will suggest the remedial and punitive action.
9. Let this exercise be completed by the Joint Committee within a period of four weeks and the report be submitted before the Tribunal immediately thereafter.

10. The Respondent No. 2-District Magistrate, Baghpat is directed to immediately visit the site and ascertain the extent of the sand which has been extracted by the Respondent No. 9 and if the quantity already extracted has exceeded the permissible limit under the EC, then he would immediately stop the mining operation by the Respondent No. 9. The Respondent No. 3-District Magistrate will ensure that no illegal mining is done by the Respondent No. 9. The District Magistrate will submit a separate action taken report within four weeks.

11. List on 06.05.2026.

उक्त के कम में दिनांक 24.03.2026 व 15.04.2026 को ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 **(संलग्नक–1)** से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा शर्तो के अधीन स्वीकृत है, की जॉच अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं एवं समिति के साथ–साथ पुलिस अधीक्षक, बागपत, खान अधिकारी, बागपत, उपजिलाधिकारी, बागपत, तहसीलदार, बागपत, क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म, गाजियाबाद, सर्वेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म, गाजियाबाद के साथ संयुक्त रूप से की गयी। जॉच आख्या निम्नवत् हैः–

1– SEIAA उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत पर्यावरण मंजूरी दिनांक 17.01.2026 **(संलग्नक–2)** में स्वीकृत (Proposed Production) की मात्रा 1,86,750 घन मीटर है तथा उक्त क्षेत्र का जियो कॉर्डिनेट निम्नलिखित हैः–

क0सं0	पिलर सं0	अक्षांश	देशान्तर
1	A	29⁰00'10.61"N	77⁰11'49.29"E
2	B	28⁰59'55.51"N	77⁰11'54.23"E
3	C	29⁰59'47.66"N	77⁰12'04.38"E
4	D	28⁰59'44.99"N	77⁰11'57.54"E
5	E	28⁰59'44.99"N	77⁰11'48.63"E
6	F	29⁰00'05.91"N	77⁰11'45.14"E

2— ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र की सतत् निगरानी हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 1071/ख0अनु0बा0/2026 दिनांक 19.02.2026 **(संलग्नक–3)** के द्वारा उक्त स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन/ऑवर लोडिंग की रोकथाम हेतु दिनांक 19.02.2026 से 28.02.2026 तक जॉच दल गठित किया गया था। तद्पोरान्त कार्यालय पत्र संख्या 1095/ख0अनु0बा0/2026 दिनांक 26.02.2026 **(संलग्नक–4)** के द्वारा दिनांक 25.02.2026 से दिनांक 31.03.2026 तक तथा कार्यालय के पत्र संख्या 2104/ख0अनु0बा0/2026 दिनांक 01.04.2026 **(संलग्नक–5)** के द्वारा दिनांक 01.04.2026 से 30.06.2026 तक जॉच दल पूर्व से ही गठित है। उक्त जॉच दल का विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	समय	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
01	प्रात 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक।	(1) नायब तहसीलदार सर्वे कलक्ट्रेट बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन। (02) सर्वे कानूनगो नैथला खादर। (03) चौकी प्रभारी,निवाडा
02	शाम 06:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक।	(01) तहसीलदार बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन (02) क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे ग्राम नैथला खादर (03) चौकी प्रभारी,सरूरपुर कलां
03	रात्रि 02:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक।	(01) नायब तहसीलदार, ,बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन (02) थानाध्यक्ष, कोतवाली बागपत।

3— दिनांक 24.03.2026 **(संलग्नक–6)** को क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय कानूनगो, सर्वे ग्राम नैथला, ज्येष्ठ खनन अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म, गाजियाबाद व नायब तहसीलदार, सर्वे बागपत द्वारा ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जॉच की गयी थी, जिनकी आख्या के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 24.03.2026 को स्वीकृत मात्रा 186750 घनमीटर के सापेक्ष 43410 घनमीटर उपखनिज का उठान/खनन एवं परिवहन किया जा चुका था तथा जॉच आख्या में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 06.03.2026, 08.03.2026 व 12.03.2026 को रात्रि में उपखनिज बालू का उठान एवं लोडिंग का प्रयास किया गया तथा कुछ स्थानों पर जल स्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किये जाने के चिन्ह पाये गये। जिसके सम्बन्ध में उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(2) के अन्तर्गत 3 चुक पर कुल 1,50,000—00 व नियम 60(4) के अन्तर्गत 500000—00 रूपये जमा कराये जाने हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 2087 दिनांक 01.04.2026 **(संलग्नक–7)** को नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस में निहित धनराशि को अनुज्ञाधारक द्वारा चालान संख्या AKV260014800 दिनांक 20.04.2026 **(संलग्नक–8)** के द्वारा धनराशि अंकन 5,00,000/—रूपये, AKV260014792 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा **(संलग्नक–9)** धनराशि अंकन 50,000/—रूपये, AKV260014794 दिनांक 20.04.2026 के द्वारा **(संलग्नक–10)** धनराशि अंकन 50,000/—रूपये तथा AKV260014797 दिनांक 20.04.2026 **(संलग्नक–11)** के द्वारा धनराशि अंकन 50,000/—रूपये इस प्रकार कुल धनराशि अंकन 6,50,000—00 रूपये जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत की गयी है।

4— शिकायती प्रार्थना पत्र श्री सुनील कुमार, निवासी ग्राम नैथला, गौरीपुर निवाडा के प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2026, दिनेश सिंह पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम नैथला जिला बागपत के दिनांकरहित प्रार्थना पत्र, पिन्टु प्रधान व समस्त निवासी ग्राम नैथला, तहसील व जिला बागपत के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2026, राजीव चौधरी जिलाध्यक्ष, बागपत भारतीय किसान यूनियन (भानु) के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2026, कपिल व आदि के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2026 के क्रम में दिनांक 28.02.2026 **(संलग्नक–12)** को संयुक्त रूप से क्षेत्रीय लेखपाल (सर्वे), ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय सर्वे कानूनगो, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म, विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद, अवर अभियन्ता, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ व वन क्षेत्राधिकारी, बागपत द्वारा जॉच की गयी। जॉच टीम द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या में उल्लिखित किया गया है कि अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी 2 पिटों में उपखनिज बालू का उठान एवं परिवहन पाया गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः—

(ए) पिट संख्या–01–जियो कोर्डिनेट 28^0 59' 58.032" N 77^0 11' 58.55" E के आस–पास औसत 62 मीटर लम्बाई 12 मीटर चौडाई तथा 0.5 मीटर की गहराई में 372 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।

(बी) पिट संख्या–02–जियो कोर्डिनेट 29^0 0' 6.702" N 77^0 11' 51.56" E के आस–पास औसत 81 मीटर लम्बाई 14 मीटर चौडाई तथा 0.35 मीटर की गहराई में 396.9 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।

उक्त अवैध खनन के सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को कार्यालय के पत्र संख्या 2016/ख0अनु0–बागपत/नोटिस/2025–26 दिनांक 28.02.2026 **(संलग्नक–13)** के द्वारा 768.9 घनमीटर बालू के अवैध उठान एवं परिवहन पर रॉयल्टी 80 रूपये प्रति घनमीटर की दर से 61512 तथा खनिज मूल्य रॉयल्टी का 5 गुना 307560–00 इस प्रकार कुल रॉयल्टी व खनिज मूल्य की धनराशि रूपये 369072 तथा अनुज्ञा शर्तो के उल्लंघन पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(2) के अन्तर्गत 50000–00 रूपये की शास्ति इस प्रकार कुल 4,19,072–00 रूपये की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके क्रम में अनुज्ञाधारक द्वारा चालान संख्या AKV260010727 दिनांक 19.03.2026 **(संलग्नक–14)** के द्वारा धनराशि अंकन 4,19,072–00 रूपये का जमा चालान कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

5— क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय कानूनगो सर्वे, बागपत, ज्येष्ठ खान अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, गाजियाबाद, नायब तहसीलदार सर्वे, बागपत व उपजिलाधिकारी, बागपत की संयुक्त टीम द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र की दिनांक 09.03.2026 **(संलग्नक–15)** को जॉच की गयी। उक्त टीम द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या निम्नवत् हैः—

(01)— ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा स्वीकृत है।

(02)— अनुज्ञापी द्वारा जाँच दिनांक 09.03.2026 तक 28490 घन मीटर का परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0–11 कुल 2108 वाहनों हेतु निर्गत किया गया है।

(03)– जॉच में पाया गया कि अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी 01 पिट में उप खनिज का उठान एवं परिवहन पाया गया है जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

पिट संख्या–01–जियो कोर्डिनेट 29^0 0'9.738" N 77^0 11' 43.626" E के आस–पास औसत 60 मीटर लम्बाई 44 मीटर चौडाई तथा 0.45 मीटर की गहराई में 1188 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।

उक्त आख्या दिनांक 09.03.2026 के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1188 घनमीटर उपखनिज बालू का अवैध उठान एवं परिवहन किया गया है, जिसके सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या 2037 दिनांक 12.03.2026 **(संलग्नक–16)** के द्वारा 1188 घनमीटर बालू के अवैध उठान एवं परिवहन पर रॉयल्टी 80 रूपये प्रति घनमीटर की दर से 95,040–00 तथा खनिज मूल्य रॉयल्टी का 5 गुना 4,75,200–00 इस प्रकार कुल रॉयल्टी व खनिज मूल्य की धनराशि रूपये 5,70,240–00 तथा अनुज्ञा शर्तो के उल्लंघन पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 60(2) के अन्तर्गत 50,000–00 रूपये की शास्ति इस प्रकार कुल 6,20,240–00 रूपये की धनराशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उक्त नोटिस में निहित धनराशि को अनुज्ञाधारक द्वारा चालान संख्या AKV260013512 दिनांक 07.04.2026 **(संलग्नक–17)** के माध्यम से धनराशि अंकन 6,20,240–00 रूपये का जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

6– उपजिलाधिकारी बागपत की आख्या दिनांक 30.03.2026 **(संलग्नक–18)** में पाया गया कि ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा के अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से जलस्तर के नीचे से उपखनिज बालू का उठान पाये जाने के कारण उ0प्र0 खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम 42 (ज) के उल्लंघन पर उक्त नियमावली के नियम 60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000–00 की शास्ति जमा करने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 2041 दिनांक 15.04.2026 **(संलग्नक–19)** के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है।

7– ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 में स्वीकृत खनन अनुज्ञा की जॉच दिनांक 20.03.2026 **(संलग्नक–20)** को अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर के साथ किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि खनन अनुज्ञा क्षेत्र के उत्तर दिशा में मौके पर पिलर संख्या ए तथा एफ के मध्य आंशिक भाग में यमुना नदी का प्रवाह विद्यमान है। मौके पर सभी सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये। दिनांक 12.02.2026 से उक्त क्षेत्र में खनन एवं परिवहन का कार्य किया जा रहा है। मौके पर तौल मशीन पी0टी0 जैड कैमरा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं बोर्ड लगा पाया गया। सीमांकित क्षेत्र के अधिकांश सूखे भाग में वर्तमान में सीमा स्तम्भ ए, बी, सी की तरफ खनन एवं परिवहन कार्य किया जाना पाया गया। खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के सूखे भाग में स्कैपर द्वारा क्षेत्र को समतल करते हुए किया गया है। लेवलर/स्केपर का प्रयोग कर क्षेत्र में भूमि की सतह को समतलीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि अनियमित आकार के क्षेत्र खनन एवं परिवहन का कार्य किया गया है। जिसका आंकलन हैण्डहेल्ड जी0पी0एस0 मशीन व मापन टेप से किया गया। क्षेत्र में 16723.07 वर्ग मीटर के अनियमित आकार के क्षेत्र से औसत 0.65 मीटर की गहराई से कुल 40119.9 घनमीटर साधारण बालू खनन एवं परिवहन किया जाना पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 20.03.2026 को निरीक्षण के समय खनन एवं परिवहन कार्य नहीं किया जा रहा था। विभागीय पोर्टल के अनुसार दिनांक 20.03.2026 के अपरान्ह् तक कुल 40077 घनमीटर साधारण बालू का परिवहन किया जाना पाया गया।

8— ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या 259934 दिनांक 29.01.2026 **(संलग्नक–21)** द्वारा सी0टी0ओ0 निर्गत है।

9— ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ हेतु SEIAA द्वारा दिनांक 17.01.2026 को शर्तो के अधीन 06 माह हेतु पर्यावरण मंजूरी निर्गत है, जिसमें Proposed Production Quantity 186750 घन मीटर है। प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि (River Bed) Yamuna है।

10— जॉच के समय मौके पर क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, गाजियाबाद के सर्वेक्षक के द्वारा जी0पी0एस0 मशीन एवं टेप के माध्यम से की गयी पैमाइश के अनुसार अनियमित आकार में 51341 वर्गमीटर क्षेत्र में औसत 1.2 मीटर गहराई में से लगभग कुल 61610 घनमीटर का खनन/परिवहन किया जाना पाया गया। **(संलग्नक–22)**

11— पर्यावरण मंजूरी दिनांक 17.01.2026 में 1000 पौधें लगाये जाने का उल्लेख है, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागपत के पत्र संख्या 1739 दिनांक 02.04.2026 में 1000 पौधों के सापेक्ष 162650 रूपये मै0 गौरव बिल्डर्स से जमा कराया गया है।

12— upmines.upsdc.gov.in पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 15.04.2026 तक 61649 घनमीटर के परिवहन हेतु 4667 परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0–11 जनित किया गया है।

13— पूर्व में उक्त क्षेत्र में हरियाणा राज्य की तरफ से नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 में हुए अवैध खनन के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0888 दिनांक 19.10.2024 व द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0176 दिनांक 06.04.2025, तृतीय प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0372 दिनांक 29.06.2025 व चतुर्थ प्रथम सूचना रिपोर्ट 0097 दिनांक 12.02.2026 दर्ज करायी गयी है। जिसके सम्बन्ध में डिप्टी कमिश्नर, सोनीपत (हरियाणा) को कार्यालय पत्र संख्या 383 दिनांक 28.06.2025, 1007 दिनांक 28.01.2026 **(संलग्नक–23)** व 2135 दिनांक 13.04.2026 **(संलग्नक–24)** के द्वारा बालू अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु सहयोग प्रदान किये जाने तथा सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु पत्राचार किया गया है।

14— उपरोक्त खनन क्षेत्र की सतत् निगरानी हेतु उपजिलाधिकारी बागपत के पत्र संख्या 254 दिनांक 01.04.2026 **(संलग्नक–25)** के द्वारा कार्मिकों की 24X7 टीम नैथला खादर में तैनात है। जिनके द्वारा जो भी अनियमितता पायी जाती है, के क्रम में अनुज्ञाधारक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी,
बागपत।

300

कार्यालय जिलाधिकारी,बागपत।

पत्रांकः 1047 /खनन अनुभाग–बागपत/अनुज्ञा/2026 दिनांकः 6 फरवरी, 2026

–::अनुज्ञा–पत्र::–

मै0 गौरव बिल्डर्स,
प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम,
निवासी बदरखा, तहसील बडौत,
जिला बागपत।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1875/86–2017–57 (सा0)/2017 टीसी–1 दिनांक 14.08.2017 एवं शासनादेश संख्या–781/86–2020–14 (सा0)/2020 दिनांक 23.05.2020 एवं शासनादेश संख्या 782/86–2020–14(सा0)/2020 दिनांक 26.05.2020 के कम मे नदी तल में उपलब्ध उपखनिज /साधारण बालू स्थित तहसील–बागपत के ग्राम नैथला खादर गाटा संख्या 1/2 रकबा 30.7646 में उपलब्ध साधारण बालू अनुमानित मात्रा 186750 (एक लाख छियासी हजार सात सौ पचास घनमीटर) को अधिकतम 06 माह की अवधि के लिए ई–निविदा के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के लिये विज्ञप्ति संख्या–992/ई–निविदा/विज्ञप्ति–बालू /2022–23 दिनांक 14 अगस्त, 2023 के माध्यम से घोषित किया गया था, जिसकी फाइनेन्सियल बिड को जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा दिनांक 19.01.2024 को खोली गया, जिसमे मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 राजीव सिंह पुत्र श्री कालू सिंह निवासी बदरखा, तहसील बडौत, जिला बागपत द्वारा रू0 156/–की उच्चतम दर प्रस्तुत की गयी। जिसके उपरान्त मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 राजीव सिंह पुत्र श्री कालू सिंह निवासी बदरखा, तहसील बडौत, जिला बागपत के पक्ष में कार्यालय पत्र संख्या–356/खनन/ई–निविदा/2023–24 दिनांक 15.07.2024 द्वारा सहमति–पत्र निर्गत किया था। सहमति–पत्र में दी गयी शर्तो के अनुसार खनन योग्य साधारण बालू अनुमानित मात्रा 1867500 (एक लाख छियासी हजार सात सौ पचास घनमीटर) से सर्वोच्च दर अंकन 156/–(एक सौ छप्पन रूपये मात्र) प्रति घनमीटर गुणा किये जाने पर रायल्टी के मद मे कुल सकल धनराशि रू0 2,91,33,000/–(दो करोड इक्यानवे लाख तैंतीस हजार रूपये मात्र) का 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 1,45,66,500/–(एक करोड पैंतालीस लाख छियासठ हजार पॉच सौ रूपये मात्र) में से जमा अर्नेस्ट मनी की धनराशि रू0 60,69,375/–(साठ लाख उनहत्तर हजार तीन सौ पिच्छहत्तर रूपये मात्र) को समायोजित करते हुए, अवशेष धनराशि रू0 84,97,125/–(चौरासी लाख सत्तानवे हजार एक सौ पच्चीस रूपये मात्र) को चालान संख्या–GP31233 दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से विभागीय Head में जमा की गयी है। जिसके उपरान्त श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा, तहसील बडौत, जिला बागपत द्वारा नियम 35 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन योजना एवं भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र (EC25B0107UP5412687N दिनांक 17.01.2026, फाइल न0 9986–9255) प्राप्त कर प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसके उपरान्त श्री राजीव सिंह पुत्र कालूराम द्वारा रायल्टी के मद मे 50 प्रतिशत धनराशि रू0 1,45,66,500/–(एक करोड पैंतालीस लाख छियासठ हजार हजार रूपये मात्र) को चालान संख्या–8655662 दिनांक 06.02.2026 व 4 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के रूप में रू0 11,65,320/–(ग्यारह लाख पैसठ हजार तीन सौ बीस रूपये मात्र) का स्टाम्प दिनांक 02.02.2026, टीसीएस की धनराशि अंकन 5,82,660/–(पॉच लाख ब्यासी हजार छः सौ साठ रूपये मात्र) दिनांक 04.02.2026 को जमा कराकर चालान रसीद जमा किया गया है तथा CTO No.259934/UPPCB/Meerut (UPPCBRO)/CTO/both/BAGHPAT/2026 DATED 29-01-2026 प्रस्तुत किया है, जिसकी अवधि दिनांक 31.07.2026 तक है।

अतः मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 राजीव सिंह पुत्र श्री कालू सिंह निवासी बदरखा, तहसील बडौत, जिला बागपत द्वारा अंकन 156/–(एक सौ छप्पन रूपये मात्र) की उच्चतम दर प्रस्तुत की गयी। जिसके उपरान्त मै0 गौरव

...........क्रमशः 2 पर

बिल्डर्स, प्रो0 राजीव सिंह पुत्र श्री कालू सिंह निवासी बदरखा, तहसील बडौत, जिला बागपत के पक्ष में नदी तल स्थित उपलब्ध उपखनिज/साधारण बालू अनुमानित मात्रा 186750 (एक लाख छियासी हजार सात सौ पचास घनमीटर) स्थित तहसील–बागपत, ग्राम नैथला–खादर 1/2 रकबा 30.7646 एकड पर खनन की अनुमति 06 माह (छः माह) की अवधि हेतु सहमति–पत्र एवं पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित शर्तो के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1. अनुज्ञा–पत्र अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोडकर) अनुज्ञापत्र स्वीकृत के दिनांक से 06 माह (छः माह) के लिए होगी।
2. लेटर–आफ–इन्टेण्ट मे अंकित उपखनिज साधारण बालू की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी। अनुज्ञाधारक द्वारा 3.0 मीटर गहराई अथवा जल स्तर में से जो कम हो से अधिक गहराई मे खनन संक्रियाएं नही करेगा।
3. अनुज्ञा–पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाय, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा–पत्र वैध रहेगा।
4. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गई शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।
5. उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र के सीमाबन्धन हेतु अनुज्ञापत्रधारक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर सीमांकन कराया जायेगा। साथ ही साथ अनुज्ञापत्रधारक के स्वयं के व्यय पर सीमा स्तम्भ लगवाया जायेगा एवं पट्टा अवधि तक उसका अनुरक्षण किया जायेगा।
6. नदी की जल धारा में सेक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा एवं अन्य किसी भी अनाधिकृत माध्यम से खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
7. उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम 36 के प्राविधानों के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी स्थल पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य पी0टी0जेड0 (PTZ)व चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेकपोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। खनिज के निकासी पर स्थापित चेकपोस्ट/गेट पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा इस प्रकार लगे हों, जिससे प्रत्येक खनिज लदे वाहन का फोटो capture हो सके। अनुज्ञापत्रधारक उक्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम के उपबन्धो के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
8. पी0टी0जेड0 (PTZ) कैमरा में निम्न Features का होना आवश्यक है।
   2MP PTZ camera of minimum resolution 1080p X 720p capable of sending RTMP feeds over the internet, controllable using APIs and equipped with night vision capabilities."
9. अनुज्ञाधारक को खदान के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवाकर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर से इन्टीग्रेट किया जाना होगा। इन्टीग्रेशन के लिये तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है।
   1- The weigh bridge device should use the MOTT protocol to transmit data.
   2- The weigh bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.
10. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करना होगा। सार्वजनिक सडक, जलाशय, नहर, रेलवे लाइन, निर्वासित स्थल से 50 मीटर तथा नदी पर बने पुल से न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के अन्दर कोई खनन कार्य नही किया जायेगा।

..................क्रमशः 2 पर

302

11. यदि अनुज्ञापत्रधारक द्वारा नियमों, खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गई शर्तो का उल्लंघन किया जाता है, तो अनुज्ञापत्रधारक को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा–पत्र समाप्त किया जा सकता है।
12. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान मे रखते हुए समय–समय पर अन्य शर्ते जो जिलाधिकारी, बागपत एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उचित समझी जायेगी उसे लागू किया जायेगा। जो अनुज्ञापत्रधारक को मान्य होगी।
13. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (मा0एन0जी0टी0) द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अनुज्ञाधारक को अनिवार्य होगा।
14. समय–समय पर पर्यावरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए GRAP कमेटी द्वारा निर्धारित गाइडलाईन के अन्तर्गत ही खनन कार्य किया जायेगा।

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी,
बागपत।

संख्याः /खनन अनुभाग–बागपत/अनुज्ञा–पत्र/2026 तद्दिनांक फरवरी, 2026

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित।

01–सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
02–आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ।
03–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
04–निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01–पुलिस अधीक्षक, बागपत।
02–प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वनप्रभाग, बागपत।
03–क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद।
04–उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी, तहसील व जनपद बागपत।

जिलाधिकारी,
बागपत।

13-1-2026 क्रमांक -2

File No.: 9988-9255
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA), UTTAR PRADESH)
***

सत्यमेव जयते

Dated 17/01/2026

To,

SHRI RAJIV SINGH
M/S GAURAV BUILDERS, VILLAGE BADARKHA, BAGHAPAT, VILLAGE BADARKHA , BAGHPAT, UTTAR PRADESH, 250611
gauravbuilder469@gmail.com

Subject: Grant of prior Environmental Clearance (EC) to the proposed Mining Project under the provisions of EIA Notification 2006-regarding Naithala Khadar Sand Mining for mining of Ordinary Sand from the Bed of River Yamuna, at Gata No.- 1/2 ,Village- Naithala Khadar, Tehsil- Baghpat, Dist.- Baghpat (U.P)., (Leased Area- 12.45 ha.).

Sir/Madam,

This is in reference to your application submitted to SEIAA vide proposal number SIA/UP/MIN/529496/2025 dated 25/04/2025 for grant of prior Environmental Clearance (EC) to the project under the provision of the EIA Notification 2006-and as amended thereof.

2. The particulars of the proposal are as below :

(i) EC Identification No.	EC25B0107UP5412687N
(ii) File No.	9988-9255
(iii) Clearance Type	Fresh EC
(iv) Category	B1
(v) Project/Activity Included Schedule No.	1(a) Mining of minerals
(vii) Name of Project	NAITHALA KHADAR SAND MINING PROJECT
(viii) Location of Project (District, State)	BAGHPAT, UTTAR PRADESH
(ix) Issuing Authority	SEIAA
(x) Applicability of General Conditions	No

3. In view of the particulars given in the Para 1 above, the project proposal interalia including Form-2(Part A, B and C)/ EIA & EMP Reports were submitted to the SEAC for appraisal under the provision of EIA notification 2006 and its subsequent amendments.

4. The above-mentioned proposal has been considered by SEAC in its meeting held on 12-11-2025. The minutes of the meeting and all the project documents are available on PARIVESH portal which can be

accessed from the PARIVESH portal by scanning the QR Code above.

5. Details of the minerals to be mined along with production capacity and the brief on the salient features of the project as submitted by the project proponent in Form 1 (Part A and B) in the reports and as presented during SEAC meeting are annexed to this EC as Annexure (2).

6. The SEAC, in its meeting held on 12-11-2025 based on information submitted viz: Form 1 (Part A, B and C), EIA/EMP report etc & clarifications provided by the project proponent and after detailed deliberations on all technical aspects and public hearing issues and compliance thereto furnished by the Project Proponent, recommended the proposal for grant of Environment Clearance under the provision of EIA Notification, 2006 and as amended thereof subject to stipulation of Specific and Standard EC conditions as given in Annexure (1).

7. The SEIAA in its meeting held on 22-12-2025 has examined the proposal in accordance with the provisions contained in the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 & further amendments thereto and based on the recommendations of the SEIAA hereby accords Environment Clearance for the instant proposal RAJIV SINGH under the provisions of EIA Notification, 2006 and as amended thereof subject to compliance of the Specific conditions as given in Annexure (1)

8. The SEIAA reserves the right to stipulate additional conditions, if found necessary.

9. The Environmental Clearance to the aforementioned project is under provisions of EIA Notification, 2006. It does not tantamount to approvals/consent/permissions etc. required to be obtained under any other Act/Rule/regulation. The Project Proponent is under obligation to obtain approvals /clearances under any other Acts/ Regulations or Statutes, as applicable, to the project.

10. The PP is under obligation to implement commitments made in the Environment Management Plan, which forms part of this EC.

11. General Instructions:

a) The project proponent shall prominently advertise it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days indicating that the project has been accorded environment clearance and the details of SEIAA website where it is displayed.

b) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn must display the same for 30 days from the date of receipt.

c) The project proponent shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors (in case of Company) or competent authority, duly prescribing standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions.

d) Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the project proponent (during construction phase) and authorized entity mandated with compliance of conditions (during operational phase) shall be prepared. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Six monthly progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.

e) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

f) The project proponent shall also ensure that the proposed site is not a part of any no-development zone as required/prescribed/identified under law. In case of violation, this permission shall automatically deem to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this clearance shall automatically deem to be cancelled.

g) Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

h) The SEIAA reserves the right to revoke the environmental clearance, if conditions stipulated are not

implemented to the satisfaction of SEIAA. SEIAA may impose additional environmental conditions or modify the existing ones, if necessary.

12. This issues with the approval of the Competent Authority.

Annexure 1

Specific EC Conditions for (Mining Of Minerals)

1. Environmental Attributes

S. No	EC Conditions
1.1	1. Mining Department/District Administration shall ensure that LoI confirms to the approved DSR. 2. The project proponent has submitted a proposal dated 28/05/2025 to the DFO requesting estimate from the Forest Department for planting and maintaining 13,000 trees to fulfill the plantation requirement of 1,000 plants per hectare of the lease area. The committee instructed that an accurate cost estimate should be obtained from the Forest Department as per rules, and the proponent must submit an undertaking to the committee confirming their commitment to provide the specified amount to the Forest Department in compliance with TOR No. 12 related to plantation. All necessary actions must be completed before commencing any mining activities. 3. It shall be the responsibility of the Project Proponent to duly and promptly inform the concerned District Authorities regarding directions and conditions, issued by SEIAA/SEAC. 4. The environmental clearance (EC) shall be co-terminus with the validity period of the mining lease mentioned in the Letter of Intent (LoI) or the current approved mine plan, whichever expires earlier. After this period, the EC will automatically become null and void. 5. The maximum quantity of material to be extracted shall be the lesser of the LoI-mention or the amount specified by the replenishment study. The District Administration and Directorate of Geology and Mining will ensure compliance, including conducting replenishment studies yearly by reputed institutions as mandated by the National Green Tribunal (NGT). 6. Mining shall be carried out by semi-mechanized open-cast riverbed methods strictly following the approved Mining Plan without extending below the water level. Excavations must remain dry, within approved zones and depths. Visible markers indicating the mandatory safety strip along the riverbank and the lowest permissible excavation level above water shall be installed at the start of each mining season. 7. Required No Objection Certificates (NOCs) from the Irrigation Department or relevant authority must be obtained before commencing mining. 8. Groundwater abstraction via borewells is prohibited without prior written permission from the competent groundwater authority, complying with environmental and hydrological norms. 9. Mining within the stream channel is prohibited as per Sustainable Sand Mining Management Guidelines (SSMMG) 2016. Heavy machinery, drilling, or blasting is not allowed; mining should be manual or semi-mechanized. 10. An annual Environmental Audit must be conducted and submitted to the State Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA). 11. The project proponent shall prepare and implement a plantation and afforestation plan, planting a minimum of 1,00plants per hectare of lease area on government or community lands within a 5 km radius. The plan shall be approved by the Forest Department or District Plantation Committee and maintained for at least five years. 12. The Miyawaki method should be explored using native plant species in consultation with the Forest Department. Full details related to plan of plantation to be submitted . The survival rate shall meet the Uttar Pradesh Forest Department standards, with any shortfall replenished in the same planting season. 13. Annual survival audits, supported by geo-tagged photographs, shall be included in six-monthly environmental compliance reports submitted to the competent authority.

S. No	EC Conditions
	14. Solar lighting shall be installed in the project area to minimize electricity consumption. 15. Six-monthly compliance reports shall include periodically taken site photographs. 16. Indigenous local plant species, as advised by the local Forest Officer or expert agencies, should be prioritized for plantation. 17. The link road from the quarry site to the main road shall be constructed as an all-weather, blacktopped road and maintained by the project proponent. 18. Corporate Social Responsibility (CSR) to be prepared as per the MoEF guidelines and present it at the time of EIA presentation. At least 2% of the project cost should be earmarked towards Corporate Environment Responsibility (CER). 19. Vehicular emissions shall be controlled and regularly monitored, with suitable maintenance measures for vehicles involved in quarry operations and transportation. 20. Rainwater harvesting possibilities shall be explored within the project premises. 21. Agreements or consents must be secured between the project proponent and competent authorities or landowners for haulage roads from lease sites to link roads. 22. Modern technologies such as water sprinklers or tankers must be employed to mitigate dust at source points in lease areas and haulage roads during operations. 23. Plantation plans specifying species, number of plants, and greenbelt development reports shall be submitted to concerned departments. Species selection should consider pollution removal effectiveness, and mortality replacements must be ensured. 24. Water requirements, sources, and permissions or agreements with water supplying authorities shall be submitted. 25. A hydrological study shall be submitted to demonstrate that mining quantities will not adversely affect the river's Hydrogeological regime of the River. 26. Environmental management shall align with the environmental status and impact assessment of the project. 27. Transportation of minerals shall be restricted during school opening and closing times to ensure safety. 28. Paved, motorable haul roads shall be maintained by the project proponent. 29. An Environmental Management Cell with qualified personnel, reporting to senior management, shall be established. 30. Loading vehicle capacity shall comply with government and Transport Department norms. 31. Two toilets and hand pumps shall be provided at the mining site. 32. Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3–0.6 m or 1–2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016. 33. If the EC was granted based on incorrect information about mine distances or cluster status, the EC shall be revoked. 34. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), SEIAA, or other competent authorities may modify or add conditions in the interest of environmental protection. 35. Mining shall restrict activities within a minimum of 50 meters or 10% of the river width from the riverbank. 36. Appeals against this EC shall lie with the National Green Tribunal within 30 days as per law. 37. All issues raised during the Public Hearing must be fully complied with as per norms, documented in six-monthly compliance reports. 38. Any damage to haulage roads due to mining must be promptly repaired and maintained, ensuring safety and convenience for all competing users.
1.2	1. The project proponent shall comply all orders/directions/guidelines/OM of the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Hon'ble High Court, Govt. of India and Govt. of

S. No	EC Conditions
	UP. The project proponent shall obtain all the necessary permissions/ approvals from the concerned Govt. Departments/ Authorities/Organizations. 2. Directions/suggestions given during public hearing and commitment made by the project proponent on these should be strictly complied with. 3. DSR formulation is done by a sub-committee formed at District level and representative of Forest Department is a member in this sub-committee, so it is expected that they examine the issue of distance of forest area from the mining lease as well as distance of protected area from the mining lease. Hence, a certificate signed by an officer not below the rank of ACF shall be submitted before signing lease deed that no forest land is involved in mining or as a route for mineral transportation and does not lie with-in any Protected area, National Park, Sanctuary and ESZ. If forest land is involved the project proponent shall obtain forest clearance and permission of Central and State Government as per the provisions of Van Sanrakshan evam Samvardhan Adhiniyam,2023 and submit before the start of work. 4. The mining lease holders shall ensure to comply with mine reclamation plan as submitted. 5. Stream will not be diverted to form inactive channel for mining. 6. Project Proponent should submit action plan for carrying out plantation at least @1,000 plants / ha of lease area. Also, the coordinates of area earmarked for plantation should be clearly spelt out. Survival of plants should be as per GoUP norms. 7. Plantation of saplings shall be carried out in earmarked area as part of tree plantation campaign "Ek Ped Ma Ke Naam" and the details of the same shall be uploaded in the Meri LIFE Portal (https://merilife.nic.in) as per OM no. F.No.IA3-22/3/2024-IA.III (E-241594) dated 24.07.2024. 8. Survival of plants should not be less than the survival rate notified by Uttar Pradesh Forest Department otherwise it will be treated as violation of EC condition. 9. The project proponent shall ensure that water bodies do not get polluted due to mining activity. Water conservation, ground water recharging shall be undertaken as part of CER activities. 10. Department of Geology and Mines, Government of Uttar Pradesh and/or concerned district administration, before releasing the security deposit to Project Proponent will ensure that Project Proponent has fully complied with the EC conditions. Non-compliance, if any, should be reported to UPSPCB for appropriate legal action and recovery of compensation. 11. The project proponent shall install rooftop solar plant in one school in the vicinity of project area and construct toilets especially in girls' school as part of CER activity. 12. Since large number of mining projects are ongoing as well as new mining leases are coming up in the district, CAAQMS shall be installed in consultation with UPPCB. 13. Project Proponent shall submit the Six-monthly Compliance on the Environment Clearance condition prescribed in the Prior Environment Clearance letter as per MoEF&CC OM F.no- IAS-22/01/2022-IA-III (E-172624) Dated 14-06-2022. 14. In case of violation of any EC conditions, this EC is liable to be cancelled based on report/recommendation of DM/IRO/UPPCB.

Standard EC Conditions for (Mining of minerals)

1. Statutory Compliance

S. No	EC Conditions
1.1	The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors.

S. No	EC Conditions
1.2	This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/ judgment of Honble Supreme Court of India, Honble High Court, Honble NGT and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.
1.3	The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II (M), dated 29th October, 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-Issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area."
1.4	A copy of EC letter will be marked to concerned Panchayat / local NGO etc. if any, from whom suggestion / representation has been received while processing the proposal.
1.5	The Project Authorities should widely advertise about the grant of this EC letter by printing the same in at least two local newspapers, one of which shall be in vernacular language of the concerned area. The advertisement shall be done within 7 days of the issue of the clearance letter mentioning that the instant project has been accorded EC and copy of the EC letter is available with the State Pollution Control Board/Committee and web site of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (www.parivesh.nic.in). A copy of the advertisement may be forwarded to the concerned MoEFCC Regional Office for compliance and record.
1.6	The Project proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India &Ors before commencing the mining operations.
1.7	State Pollution Control Board/Committee shall be responsible for display of this EC letter at its Regional office, District Industries Centre and Collector's office/ Tehsildar's Office for 30 days.
1.8	The Project Proponent shall inform the MoEF&CC for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership or mining lease is transferred. PP needs to apply for transfer of EC as per provisions of the para 11 of EIA Notification, 2006 as amended from time to time.

2.

S. No	EC Conditions
2.1	The Project Proponent shall carryout plantation/ afforestation in backfilled and reclaimed area of mining lease, around water body, along the roadsides, in community areas etc. by planting the native species in consultation with the State Forest Department/ Agriculture Department/ Rural development department/ Tribal Welfare Department/ Gram Panchayat such that only those species be selected which are of use to the local people. The CPCB guidelines in this respect shall also be adhered. The density of the trees should be around 2500 saplings per Hectare. Adequate budgetary provision shall be made for protection and care of trees.
2.2	The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the scorching sun, should be scrupulously guarded/

S. No	EC Conditions
	protected against felling and plantation of such trees should be promoted.

3. Air Quality Monitoring And Preservation

S. No	EC Conditions
3.1	The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz. PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCI/I, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed within 03 months in front of the main Gate of the mine site.
3.2	Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM10 and PM2.5 are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/ Central Pollution Control Board.

4. Water Quality Monitoring And Preservation

S. No	EC Conditions
4.1	Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.
4.2	Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/ State Ground Water Department. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.
4.3	Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEFCC annually.
4.4	In case, immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case,

S. No	EC Conditions
	mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA and MoEFCC is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.
4.5	Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off; acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. J- 20012/1/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.
4.6	The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease including upstream and downstream. Sufficient number of gullies shall be provided at appropriate places within the lease for management of water. The parameters to be monitored shall include their water quality vis-à-vis suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre- monsoon (April May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. Clearly showing the trend analysis on six-monthly basis.
4.7	The water balance/water auditing shall be carried out and measure for reducing the consumption of water shall be taken up and reported to the Regional Office of the MoEF&CC and State Pollution Control Board/Committee.

5. Noise And Vibration Monitoring And Prevention

S. No	EC Conditions
5.1	The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. PPs must ensure that the biological clock of the villages is not disturbed; by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day /night hours.
5.2	The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM, etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.
5.3	The peak particle velocity at 500m distance or within the nearest habitation, whichever is closer

S. No	EC Conditions
	shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.

6. Mining Plan

S. No	EC Conditions
6.1	The Project Proponent shall adhere to approved mining plan, inter alia, including, total excavation (quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc.); mining technology; lease area; scope of working (method of mining, overburden & dump management, O.B& dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining, concurrent reclamation and reclamation at mine closure; land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life; etc.).
6.2	The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-à-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan. PP shall ensure the monitoring and management of rehabilitated areas until the vegetation becomes self-sustaining. The compliance status shall be submitted half-yearly to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

7. Land Reclamation

S. No	EC Conditions
7.1	The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stability, prevent erosion and surface run off. The selection of local species regulates local climatic parameters and help in adaptation of plant species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dumps. The dump mass should be consolidated with the help of dozer/ compactors thereby ensuring proper filling/ leveling of dump mass. In critical areas, use of geo textiles/ geo-membranes / clay liners / Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.
7.2	The Overburden (O.B.), waste and topsoil generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB / waste dumps / topsoil dump like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and the guidelines/circulars issued by D.G.M.S. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.
7.3	Catch drains, settling tanks and siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.
7.4	Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing

S. No	EC Conditions
	adequate retention time period thereby allowing proper settling of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.

8. Transportation

S. No	EC Conditions
8.1	The Main haulage road within the mine lease should be provided with a permanent water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements. The air pollution control equipments like bag filters, vacuum suction hoods, dry fogging system etc. shall be installed at Crushers, belt-conveyors and other areas prone to air pollution. The belt conveyor should be fully covered to avoid generation of dust while transportation. PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.
8.2	No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/ habitations. In such cases, PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village/ rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers. [If applicable in case of road transport].

9. Green Belt

S. No	EC Conditions
9.1	The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

10. Public Hearing And Human Health Issues

S. No	EC Conditions
10.1	Project Proponent shall make provision for the housing for workers/labors or shall construct labor camps within/outside (company owned land) with necessary basic infrastructure/ facilities like fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche for kids etc. The housing may be provided in the form of temporary structures which can be removed after the completion of the project related infrastructure. The domestic waste water should be treated with STP in order to avoid contamination of underground water.

11. Miscellaneous

S. No	EC Conditions
11.1	Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
11.2	The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
11.3	The concerned Regional Office of the MoEF&CC shall randomly monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the MoEF&CC officer(s) by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
11.4	In pursuant to Ministrys O.M No.22-34/2018-IA.III dated 16.01.2020 to comply with the direction made by Honble Supreme Court on 8.01.2020 in W.P. (Civil) No 114/2014 in the matter Common Cause vs Union of India, the mining lease holder shall after ceasing mining operations, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to other mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.
11.5	The Project Proponent shall prepare digital map (land use & land cover) of the entire lease area once in five years purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concerned Regional Office of the MoEF&CC.
11.6	Concealing factual data failure to comply with any or submission of false/ fabricated data and of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
11.7	The Ministry or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
11.8	The above conditions will be enforced inter-alia, under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and rules made there under and also any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Court and any other Court of Law relating to the subject matter.
11.9	The Project Proponent shall submit six-monthly compliance reports on the status of the implementation of the stipulated environmental safeguards to the MOEFCC & its concerned Regional Office, Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board.
11.10	A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive. The Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientists and Mining Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MoEF&CC.

12. Corporate Environment Responsibility (Cer)

S. No	EC Conditions
12.1	The Project Proponent shall submit the time- bound action plan to the concerned regional office of the Ministry within 6 months from the date of issuance of environmental clearance for undertaking the activities committed during public consultation by the project proponent and as discussed by the EAC, in terms of the provisions of the MoEF&CC Office Memorandum No.22-65/2017-IA.III dated 30 September, 2020. The action plan shall be implemented within three years of commencement of the project.

Annexure- 2

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Rian enviro Private Limited to SEAC on 12-11-2025.

Project Details Informed by the Project Proponent and their Consultant

The project proponent, through the documents and presentation gave following details about their project –

1. The environmental clearance is sought for Naithala Khadar Sand Mining for mining of Ordinary Sand from the Bed of River Yamuna, at Gata No.- 1/2 ,Village- Naithala Khadar, Tehsil- Baghpat, Dist:- Baghpat (U.P)., (Leased Area- 12.45 ha.).
2. The Terms of Reference in the matter were issued by SEIAA, U.P vide Letter No. TO24B0107UP5763578N dated 09/11/2024.
3. The Public Hearing was organized on 27/02/2025. Final EIA report submitted by the project proponent on 25/04/2025.
4. Salient features of the project as submitted by the project proponent:

On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/529496/2025
File No. allotted by SEIAA, UP	9988-9255
Name of Proponent	M/s Gaurav Builders Prop: Rajiv Singh
Full correspondence address of proponent and mobile no.	Village Badarkha, Baghpat, Uttar Pradesh
Name of Project	Naithala Khadar Sand Mining Project
Project location (Plot/ Khasra /Gata No.)	Khasra No-1/2
Name of Village	Naithala Khadar
Tehsil	Baghpat
District	Baghpat
Name of Minor Mineral	Sand
Sanctioned lease Area (in Ha.)	12.45
Max.& Min mRL within lease area	241mRL & 233mRL
Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Pillars / Latitude / Longitude: A: 29°00'10.61"N, 77°11'49.29"E B: 28°59'55.51"N, 77°11'54.23"E C: 28°59'47.66"N, 77°12'04.38"E D: 28°59'44.99"N, 77°11'57.54"E E: 28°59'54.35"N, 77°11'48.63"E F: 29°00'05.91"N, 77°11'45.14"E
Total Geological Reserves	3,51,000 m3
Total Minable Reserves	2,10,600 m3
Total Proposed Production	-
Proposed Production / year	1,86,750 m3 for six months
Sanctioned Period of Mine lease	6 Months
No. of workers	35
Type of Land	Govt. Land (River Bed) Yamuna
Ultimate depth of mining	3
Nearest metalled road from site	NH 334B
Water Requirement	Particulars / KLD: Domestic &drinking: 0.88 Dust Suppression: 6.0 Plantation: 2.0

		Total	8.88
Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.	Rian enviro Private Limited Ground Floor, Shyam Residency, near Kalyan Jwellers, RPS More, Bailey Road, Danapur, Patna, Bihar QCI Accreditation No. NABET/EIA/24-27/RA 0368 Valid till: 11/09/2027		
Any litigation pending against the project or land in any court	No		
Details of 500 m Cluster Map & certificate issued by Mining Officer	Letter No. 395/ khvi-ba/2024-25, on Dated 27/07/2024		
Details of Lease Area in approved DSR	Pg. 58		
Proposed EMP cost	2.9 Lakh		
Length and breadth of Haul Road.	1000 Length &6m width		
No. of Trees to be Planted	1000		
Monitoring Period	October 2024-December 2024		

5. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
6. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
7. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
8. There is no litigation pending in any court regarding this project.
9. The project proposal falls under category-1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Copy, through email, for information and necessary action to –

1. Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, Lucknow (email – psforest2015@gmail.com)
2. Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, 3rd Floor, Prithvi Block, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003 (email – sudheer.ch@gov.in)
3. Deputy Director General of Forests (C), Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020 (email – rocz.lko-mef@nic.in)
4. District Magistrate, Baghpat.
5. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (email – ms@uppcb.in)
6. Copy for Guard File.

(Manish Mittal (IFS))
Member Secretary, SEIAA

Signature Not Verified
Digitally Signed by: Shri Manish Mittal IFS
Member Secretary, SEIAA
Date: 17/01/2026

संलग्नक-3

आदेश

उल्लेखनीय है कि ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में उप खजिन बालू का खनन अनुज्ञा दिनांक 06.02.2026 के 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा, तहसील बड़ौत, जिला बागपत के पक्ष में शर्तो के अधीन स्वीकृत है।

उक्त स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में अवैध खनन/अवैध परिवहन/ओवर लोडिंग की रोकथाम हेतु सतत निगरानी हेतु निम्नानुसार जॉच दल गठित की जाती है जो कि दिनांक 19.02.2026 से 28.02.2026 तक बीच-बीच में जाकर जॉच करेगी।

क0सं0	समय	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
01	प्रात 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक।	(1)–नायब तहसीलदार सर्वे कलक्ट्रेट बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन। (02)–सर्वे कानूनगो नैथला खादर। (03) चौकी प्रभारी,निवाड़ा
02	शाम 06:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक।	(01)–तहसीलदार बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन (02) क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे ग्राम नैथला खादर (03) चौकी प्रभारी,सरूरपुर कलां
03	रात्रि 02:00 बजे से मध्य सुबह 10:00 बजे तक।	(01)–नायब तहसीलदार, बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन (02)थानाध्यक्ष, कोतवाली बागपत।

उक्त जॉच दल को निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर जॉच करें।

01– स्वीकृत क्षेत्र के बाहर उप खनिज का अवैध खनन/अवैध परिवहन तो नहीं किया जा रहा है यदि करते हुए पाया जाता है तो निम्नानुसार कृत कार्यवाही की आख्या।

02– अनुज्ञाधारक परिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा से अधिक उप खनिज का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है।

03– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित वेब्रिज कियाशील है अथवा नहीं।

04– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित वेब्रिज में लगाये गये कैमरे कियाशील है अथवा नहीं।

05– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित पी0टी0जेड कैमरा कियाशील है अथवा नहीं।

06– अनुज्ञाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन तो नहीं किया जा रहा है। यदि किया जाता है तो कृत कार्यवाही।

07– अनुज्ञाधारक द्वारा अवैध रूप से हरियाणा की तरफ से उप खनिज का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है।

08– अनुज्ञाधारक द्वारा पर्यावरण मंजूरी/खनन अनुज्ञा में निहित शर्तो का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

09– यदि को वाहन अवैध परिवहन/मानक के विपरित परिवहन करते हुए पाया जाता है तो कृत कार्यवाही की आख्या।

उपरोक्तानुसार गठित जॉच दल उपरोक्त बिन्दुओं पर सतत जॉच/निगरानी एवं कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगी।

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी,
बागपत।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांक: 1071 /ख0अनु0बा0/2026 दिनांक 19 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– पुलिस अधीक्षक, महोदय बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

02– उपजिलाधिकारी, बागपत को इस निर्देश के साथ है कि प्रेषित कि उपरोक्त स्थल में अमीनों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करे।

03– उपरोक्त समिति के सदस्यों को अनुपालनार्थ।

04– अनुज्ञाधारक मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी,
बागपत।

संलग्नक -4

आदेश

उल्लेखनीय है कि ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा दिनांक 06.02.2026 के 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा, तहसील बड़ौत, जिला बागपत के पक्ष में शर्तो के अधीन स्वीकृत है।

उक्त स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में अवैध खनन/अवैध परिवहन/ओवर लोडिंग की रोकथाम हेतु सतत निगरानी हेतु निम्नानुसार जाँच दल गठित की जाती है जो कि दिनांक 25.02.2026 से 31.03.2026 तक बीच-बीच में जाकर जाँच करेगी।

क0सं0	समय	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
01	प्रात 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक।	(1) नायब तहसीलदार सर्वे कलक्ट्रेट बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन। (02) सर्वे कानूनगो नैथला खादर। (03) चौकी प्रभारी,निवाड़ा
02	शाम 06:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक।	(01) तहसीलदार बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन (02) क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे ग्राम नैथला खादर (03) चौकी प्रभारी,सरूरपुर कलां
03	रात्रि 02:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक।	(01) नायब तहसीलदार, ,बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन (02) थानाध्यक्ष, कोतवाली बागपत।

उक्त जाँच दल को निर्देशित किया जाता है कि निम्न बिन्दुओं पर जाँच करें।

01– स्वीकृत क्षेत्र के बाहर उप खनिज का अवैध खनन/अवैध परिवहन तो नहीं किया जा रहा है यदि करते हुए पाया जाता है तो निम्नानुसार कृत कार्यवाही की आख्या।

02– अनुज्ञाधारक परिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा से अधिक उप खनिज का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है तथा प्रत्येक वाहन जो वे-ब्रिज से गुजर रहे है उनमें लोड उपखनिज की पैमाईश (घनमीटर) भी की जायेगी। यदि परिहवन प्रपत्र में ई-एम0एम0-11 में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा लोड है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध करायी जायेगी।

03– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित वेब्रिज कियाशील है अथवा नहीं।

04– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित वेब्रिज में लगाये गये कैमरे कियाशील है अथवा नहीं।

05– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित पी0टी0जेड कैमरा कियाशील है अथवा नहीं।

06– अनुज्ञाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन तो नहीं किया जा रहा है। यदि किया जाता है तो कृत कार्यवाही।

07– अनुज्ञाधारक द्वारा अवैध रूप से हरियाणा की तरफ से उप खनिज का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है।

08– अनुज्ञाधारक द्वारा पर्यावरण मंजूरी/खनन अनुज्ञा में निहित शर्तो का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

09– यदि को वाहन अवैध परिवहन/मानक के विपरित परिवहन करते हुए पाया जाता है तो कृत कार्यवाही की आख्या।

10– पर्यावरण मंजूरी के अनुसार उक्त स्वीकृत क्षेत्र में उपखनिज का उठान केवल दिन में ही किया जा सकता है। रात्रि में यदि करते हुए पाया जाता है तो कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11– मौके पर तैनात अमीनों द्वारा प्रत्येक लोड वाहन के सम्बन्ध में जनित ई.एम.एम.-11 में अंकित मात्रा के सापेक्ष वाहन में लोड उपखनिज की मात्रा की पैमाईश की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सूचना उपजिलाधिकारी, बागपत द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में अंकित कराते हुए अगले दिवस में सूचना उपजिलाधिकारी, बागपत से वेरिफाई कराते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

12– स्वीकृत क्षेत्र में लगाये गये सीमा स्तम्भ मौके पर लगे है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में भी निगरानी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार गठित जाँच दल उपरोक्त बिन्दुओं पर सतत जाँच/निगरानी एवं कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही अपनी डयूटी पॉइन्ट पर अपनी उपस्थिति वाट्सअप ग्रुप **Mining Contd Baghpat** में जियो कॉर्डिनेट्स सहित अपना फोटो अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी,
बागपत।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांक: 1095 /ख0अनु0बा0/2026 दिनांक 26 फरवरी, 2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02– पुलिस अधीक्षक, महोदय बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

03– उपजिलाधिकारी, बागपत को इस निर्देश के साथ है कि प्रेषित कि उपरोक्त स्थल में अमीनों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करे।

04– उपरोक्त समिति के सदस्यों को अनुपालनार्थ।

05– अनुज्ञाधारक मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी,
बागपत।

आदेश

उल्लेखनीय है कि ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा दिनांक 06.02.2026 के 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा, तहसील बड़ौत, जिला बागपत के पक्ष में शर्तो के अधीन स्वीकृत है।

उक्त स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में अवैध खनन/अवैध परिवहन/ऑवर लॉडिंग की रोकथाम हेतु सतत निगरानी हेतु निम्नानुसार जाँच दल गठित की जाती है जो कि दिनांक 01.04.2026 से 30.06.2026 तक बीच-बीच में जाकर जाँच करेगी।

क्र0सं0	समय	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम
01	प्रात 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक।	(1) नायब तहसीलदार सर्वे कलक्ट्रेट बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन। (02) क्षेत्रीय वनरक्षक, वन विभाग, बागपत अथवा वन विभाग द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी। (03) चौकी प्रभारी, निवाड़ा।
02	शाम 06:00 बजे से रात्रि 02:00 बजे तक।	(01) तहसीलदार बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन (02) चौकी प्रभारी,सरूरपुर कलां (03) क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे ग्राम नैथला खादर
03	रात्रि 02:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक।	(01) नायब तहसीलदार, बागपत/उपजिलाधिकारी बागपत द्वारा नामित अमीन (02) थानाध्यक्ष, कोतवाली बागपत। (03) सर्वे कानूनगो नैथला खादर।

उक्त जाँच दल को निर्देशित किया जाता है कि निम्न विन्दुओं पर जाँच करें।

01– स्वीकृत क्षेत्र के बाहर उप खनिज का अवैध खनन/अवैध परिवहन तो नहीं किया जा रहा है यदि करते हुए पाया जाता है तो निम्नानुसार कृत कार्यवाही की आख्या।

02– अनुज्ञाधारक परिवहन प्रपत्र में अंकित मात्रा से अधिक उप खनिज का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है तथा प्रत्येक वाहन जो वे-ब्रिज से गुजर रहे है उनमें लोड उपखनिज की पैमाईश (घनमीटर) भी की जायेगी। यदि परिहवन प्रपत्र में ई-एम0एम0-11 में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा लोड हैं तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध करायी जायेगी।

03– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित वेब्रिज कियाशील है अथवा नहीं।

04– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित वेब्रिज में लगाये गये कैमरे क्रियाशील है अथवा नहीं।

05– अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित पी0टी0जेड कैमरा कियाशील है अथवा नहीं।

06– अनुज्ञाधारक द्वारा नदी की जलधारा में खनन तो नहीं किया जा रहा है। यदि किया जाता है तो कृत कार्यवाही।

07– अनुज्ञाधारक द्वारा अवैध रूप से हरियाणा की तरफ से उप खनिज का परिवहन तो नहीं किया जा रहा है।

08– अनुज्ञाधारक द्वारा पर्यावरण मंजूरी/खनन अनुज्ञा में निहित शर्तो का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

09– यदि को वाहन अवैध परिवहन/मानक के विपरित परिवहन करते हुए पाया जाता है तो कृत कार्यवाही की आख्या।

10– पर्यावरण मंजूरी के अनुसार उक्त स्वीकृत क्षेत्र में उपखनिज का खनन केवल दिन में ही किया जा सकता है। रात्रि में उपखनिज बालू का खनन मूर्णतः प्रतिबन्धित है। यदि अनुज्ञाधारक रात्रि में खनन करते हुए पाया जाता है तो अनुज्ञाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

11– मौके पर तैनात अमीनों द्वारा प्रत्येक लोड वाहन के सम्बन्ध में जनित ई.एम.एम.–11 में अंकित मात्रा के सापेक्ष वाहन में लोड उपखनिज की मात्रा की पैमाईश की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में सूचना उपजिलाधिकारी, बागपत द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में अंकित कराते हुए अगले दिवस में सूचना उपजिलाधिकारी, बागपत से वेरिफाई कराते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

12– स्वीकृत क्षेत्र में लगाये गये सीमा स्तम्भ मौके पर लगे है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में भी निगरानी की जायेगी। उपरोक्तानुसार गठित जॉच दल उपरोक्त बिन्दुओं पर सतत जॉच/निगरानी एवं कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही अपनी ड्यूटी पॉइन्ट पर अपनी उपस्थिति वाट्सअप ग्रुप **Mining Control Baghpat** में जियो कॉर्डिनेट्स सहित अपना फ़ोटो अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी,
बागपत।
01

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः 2104 /ख0अनु0बा0/2026 दिनांक 01–04–2026

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

02– पुलिस अधीक्षक, महोदय बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।

03– प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, बागपत।

04– उपजिलाधिकारी, बागपत को इस निर्देश के साथ है कि प्रेषित कि उपरोक्त स्थल में अमीनों की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करे।

05– उपरोक्त समिति के सदस्यों को अनुपालनार्थ।

06– अनुज्ञाधारक मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा, तहसील बड़ौत, जनपद बागपत को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी,
बागपत।
01

संलग्नक-6

जिलाधिकारी
बागपत।

महोदया,

जाँच आख्या

सादर अवगत कराना है कि भारतीय किसान यूनियन (अनाज) के शिकायती पत्र दिनांक 16.03.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2026 को ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जाँच क्षेत्रीय लेखपाल/क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के साथ किया गया। जाँच आख्या निम्नवत् है–

(01)– ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बड़ौत जिला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा स्वीकृत है। पर्यावरण मंजूरी दिनांक 17.01.2026 में उल्लिखित मात्रा 186750 के सापेक्ष दिनांक 24.03.2026 तक लेखपाल की पैमाइश के अनुसार 43410 घनमीटर उपखनिज का उठान/खनन एवं परिवहन स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर किया जाना पाया गया।

02– शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2026 के साथ संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 06.03.2026, 08.03.2026 व 12.03.2026 को रात्रि में उपखनिज बालू का उठान एवं लोडिंग प्रयास किया गया। मौके पर उप जिलाधिकारी, बागपत द्वारा तैनात राजस्व कर्मियों द्वारा बालू का उठान एवं परिवहन बन्द करा दिया गया। उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम 35, पर्यावरण मंजूरी एवं खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है जिस पर उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम 60 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक चुक पर 50,000/– की शास्ति की देयता बनती है, इस प्रकार कुल 3 चुक पर कुल 1,50,000/– शास्ति की देयता बनती है। जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत करते हुए उपरोक्त धनराशि जमा कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

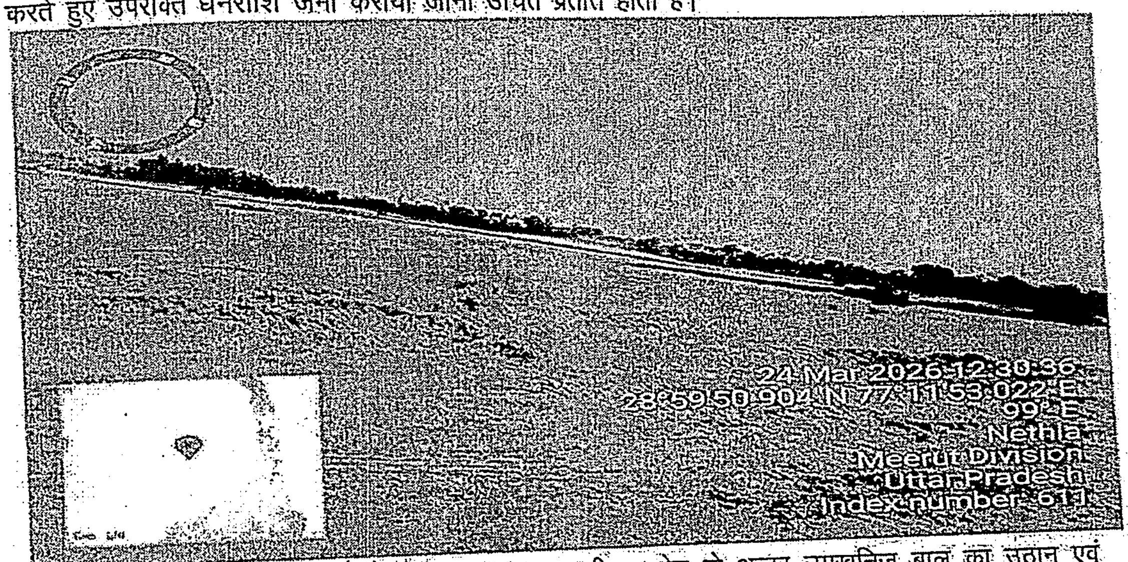

03– जॉच के दौरान देखा गया कि अनुज्ञाधारक स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर उपखनिज बालू का उठान एवं परिवहन किया जा रहा है तथा नदी की जलधारा को किसी प्रकार से अवरूद्ध नहीं किया गया है तथा जलधारा से उप खनिज का उठान नहीं किया जा रहा है। परन्तु कुछ स्थानों पर जल स्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किये जाने के चिन्ह पाये गये जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली के नियम–42 (ज) का उल्लंघन है जिस पर उक्त नियमावली के नियम–60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000/– की शास्ति की देयता अनुज्ञाधारक पर बनती है जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत करते हुए उपरोक्त धनराशि जमा कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

04– स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये।

मौके पर उपजिलाधिकारी द्वारा तैनात राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी दशा में रात्रि में उपखनिज का उठान/खनन न होने पाये तथा न ही स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन किया जायें यदि स्वीकृत क्षेत्र के बाहर अनुज्ञाधारक द्वारा खनन किया जाता है तो तत्काल जॉच आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अनुज्ञाधारक के विरूद्ध नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

06– पट्टा क्षेत्र में अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु वे–ब्रिज लगा हुआ है।

जाँच आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

25/03/026 25/3/026 25/3/26 25/3/26

क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला

क्षेत्रीय कानूनगो, ग्राम नैथला

ज्येष्ठ खनन अधिकारी/ प्रवर्तन अधिकारी, गाजियाबाद।

नायब तहसीलदार (सर्वे), बागपत

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः 2087 / खन0अनु0–बागपत / नोटिस / 2026–27 दिनांकः 01 अप्रैल, 2026

–:नोटिस:–

मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह
पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा,
तहसील बडौत, जनपद बागपत।

ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु आपके पक्ष में सशर्त स्वीकृत है। भारतीय किसान यूनियन (अनाज) के शिकायती पत्र दिनांक 16.03.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध मे स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र की दिनांक 24.03.2026 को क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय कानूनगो सर्वे, बागपत, ज्येष्ठ खान अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, गाजियाबाद एवं नायब तहसीलदार सर्वे, बागपत की संयुक्त टीम द्वारा जॉच की गयी। उक्त टीम द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या दिनांक 24.03.2026 निम्नवत् है:–

01– शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16.03.2026 के साथ संलग्न फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 06.03.2026, 08.03.2026 व 12.03.2026 को रात्रि में उपखनिज बालू का उठान एवं लोडिंग प्रयास किया गया। मौके पर उप जिलाधिकारी, बागपत द्वारा तैनात राजस्व कर्मियों द्वारा बालू का उठान एवं परिवहन बन्द करा दिया गया। उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम 35, पर्यावरण मंजूरी एवं खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है जिस पर उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली, 2021 के नियम 60 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक चुक पर 50,000/– की शास्ति की देयता बनती है, इस प्रकार कुल 3 चुक पर कुल 1,50,000/– शास्ति की देयता बनती है।

02– जॉच के दौरान देखा गया कि अनुज्ञाधारक स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर उपखनिज बालू का उठान एवं परिवहन किया जा रहा है तथा नदी की जलधारा को किसी प्रकार से अवरूद्ध नहीं किया गया हैं तथा जलधारा से उप खनिज का उठान नहीं किया जा रहा है। परन्तु कुछ स्थानों पर जल स्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किये जाने के चिन्ह पाये गये जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली के नियम–42 (ज) का उल्लंघन है जिस पर उक्त नियमावली के नियम–60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000/– की शास्ति की देयता अनुज्ञाधारक पर बनती है जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत करते हुए उपरोक्त धनराशि जमा कराया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त जॉच आख्या दिनांक 24.03.2026 से स्पष्ट है कि आपके द्वारा अनुज्ञा शर्तों एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियमों का उल्लंघन किया गया है।

उक्त जॉच आख्या के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जॉच आख्या में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपना स्पष्ट जवाब प्रत्येक दशा में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा जॉच आख्या में उल्लिखित धनराशि अंकन धनराशि 6,50,000–00 को निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 में जमा कराते हुए चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में अपना जवाब अथवा धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) /
प्रभारी अधिकारी खनन
बागपत।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदया, बागपत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) /
प्रभारी अधिकारी खनन
बागपत।

संलग्नक 3

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: **AKV260014800**	Transaction Date:**20/04/2026**
Assessment Year:**2026-2027**	Tax Period: **ANNUAL**
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	**Rajeev Singh So Shri Kaluram**
Depositor Address:	**Ms Gaurav Builder Pro Ro Badarkha Tehsil Baraut DIstrict Baghpat**

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300107010000	लघु खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क की प्राप्तियां	5	500000.00
	Totals of the above heads	--	500000.00

A SUM OF Rs. 500000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks->Sub-soil mineral extraction Below the water level Constitutes a violation Applicable 500000)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAGPTYNM5, Scroll Date:-NA
Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPAGPTYNM5 for status of the deposit.

326 कलेक्ट -9

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: **AKV260014792**	Transaction Date: **20/04/2026**
Assessment Year: **2026-2027**	Tax Period: **ANNUAL**
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	**Rajeev Singh So Shri Kaluram**
Depositor Address:	**Ms Gaurav Builder Pro Ro Badarkha Tehsil Baraut District Baghpat**

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300107010000	लघु खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क की प्राप्तियाँ	5	50000.00
	Totals of the above heads	--	50000.00

A SUM OF Rs. 50000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks->Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules 2021 attracts a penalty of 50000 date 06 march 2026)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAGPTWUS9 , Scroll Date=NA
Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPAGPTWUS9 for status of the deposit.

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: **AKV260014794**	Transaction Date:**20/04/2026**
Assessment Year:**2026-2027**	Tax Period: **ANNUAL**
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	**Rajeev Singh So Shri Kaluram**
Depositor Address:	**Ms Gaurav Builder Pro Ro Badarkha Tehsil Baraut District Baghpat**

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
0853001070100000	लघु खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क की प्राप्तियाँ	5	50000.00
	Totals of the above heads	--	50000.00

A SUM OF Rs. 50000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks->Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules 2021 attracts a penalty of 50000 Date 08 March 2026)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAGPTXJD4 Scroll Date: NA
Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPAGPTXJD4 for status of the deposit.

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: **AKV260014797**	Transaction Date: **20/04/2026**
Assessment Year: **2026-2027**	Tax Period: **ANNUAL**
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	**Rajeev Singh So Shri Kaluram**
Depositor Address:	**Ms Gaurav Builder Pro Ro Badarkha Tehsil Baraut District Baghpat**

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
0853001070100000	लघु खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क की प्राप्तियाँ	5	50000.00
	Totals of the above heads	--	50000.00

A SUM OF Rs. 50000.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks->Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules 2021 attracts a penalty of 50000 12 March 2026)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAGPTXUS6, Scroll Date:-NA

Note:- Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPAGPTXUS6 for status of the deposit.

लोकायुक्त -12

जिलाधिकारी
बागपत।

महोदया,

<u>जाँच आख्या</u>

सादर अवगत कराना है कि सुनील कुमार निवासी ग्राम नैथला गौरीपुर निवाड़ा के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2026, दिनेश सिंह पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम नैथला जिला बागपत के दिनांकरहित प्रार्थना पत्र पर पृष्टांकित जिलाधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 26.02.2026, पिन्दू प्रधान समस्त निवासीगण ग्राम नैथला तहसील व जिला बागपत के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2026, राजीव चौधरी जिलाध्यक्ष, बागपत भारतीय किसान यूनियन (भानू) के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2026 कपिल आदि के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.02.2026 के कम में दिनांक 28.02.2026 को ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा की स्थलीय जाँच की गई आख्या निम्नवत् है—

01— ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र का अधिकांश भाग नदी की जल धारा से बाहर है जो कि गूगल अर्थ की इमेज से स्पष्ट है। स्वीकृत क्षेत्र गाटा संख्या 1/2 को लाल रंग से गूगल अर्थ इमेज में चिन्हांकित कर दिया गया है। नदी क्षेत्र में नदी की धारा परिवर्तित होती रहती है (बीच–बीच में होने वाली बारिश से)

02— ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र ग्राम की सीमा से 300 मीटर से अधिक दूरी पर है तथा अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से कुछ भाग में औसत 01 से 1.2 मीटर की गहराई में बालू का उठान किया गया है।

03— अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी 2 पिटों में उपखनिज बालू का उठान एवं परिवहन पाया गया है जिसका विवरण निम्न—

(ए) पिट संख्या–01–जियो कोर्डिनेट $28^0 59' 58.032''$ N $77^0 11' 58.55''$ E के आस–पास औसत 62 मीटर लम्बाई 12 मीटर चौडाई तथा 0.5 मीटर की गहराई में 372 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।

(बी) पिट संख्या–02–जियो कोर्डिनेट $29^0 0' 6.702''$ N $77^0 11' 51.56''$ E के आस–पास औसत 81 मीटर लम्बाई 14 मीटर चौडाई तथा 0.35 मीटर की गहराई में 396.9 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।

इस प्रकार अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 2 पिटो में कुल 768.9 घन मीटर बालू का अवैध उठान एवं परिवहन किया गया है जिस पर रायल्टी 80 रूपये प्रति घन मीटर की दर से 61512 तथा खनिज मूल्य रायल्टी का 5गुणा 307560 इस प्रकार कुल रायल्टी एवं खनिज मूल्य की धनराशि 3,69,072–00 एवं खनन योजना एवं अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) के नियम 60(2) के अन्तर्गत 50,000–00 की शास्ति की देयता बनती है, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत किया जाना आवश्यक है।

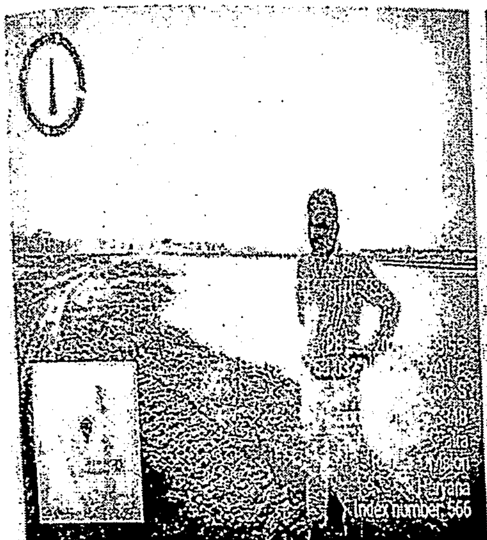

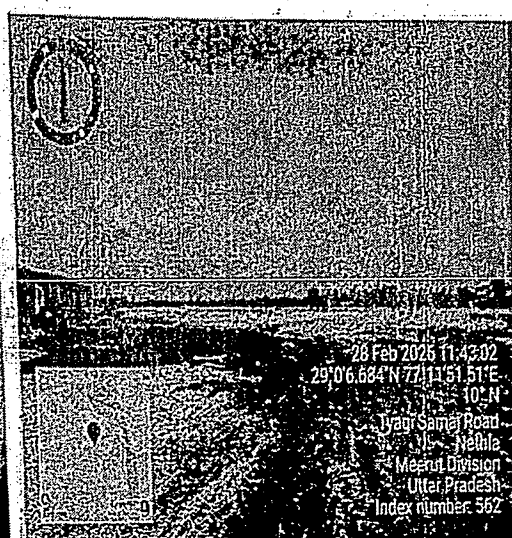

- जॉच के समय मौके पर चार मशीनें (जे0सी0बी0) मौके पर क्षेत्र के अन्दर खडी मिली। अनुज्ञाधारक के मक्ष में SEIAA UP द्वारा स्वीकृत पर्यावरण मंजूरी दिनांक 17.01.2026, Mining Shall Be Carried Out By Semi-Mechanized Open-Cast Riverbed Methods में उल्लिखित है। मौके पर अनुज्ञाधारक को निर्देशित कर दिया गया है कि नदी की जलधारा को न तो परिवर्तित किया जायेगा ना ही जलस्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किया जायेगा। यदि भविष्य में नदी की जलधारा को परिवर्तित अथवा जलस्तर के नीचे से बालू का उठान करते हुए पाया जाता है तो अनुज्ञाधारक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- अनुज्ञाधारक द्वारा उपखनिजों के परिवहन की नाप हेतु वे–ब्रिज लगाया गया है तथा वे–ब्रिज में दो कैमरे तथा एक पी0टी0जेट कैमरा लगा हुआ पाया गया। वे–ब्रिज से नियमविरूद्ध गुजरने वाले 31 प्रकरणों के सम्बन्ध में कार्यालय के पत्र संख्या 1082 दिनांक 23.02.2026 व पत्र संख्या 1083 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 334बी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा को जोड़ने वाले यमुना पुल से स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र लगभग 900 मीटर से अधिक दूरी पर है।
- स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र की निगरानी हेतु कार्यालय के पत्र संख्या 1095 दिनांक 26.02.2026 के द्वारा 24X7 तीन शिफ्टो में तहसील एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। जोकि अनुज्ञा क्षेत्र से लोड होकर निकलने वाले वाहनों की जॉच करते है।
- जॉच के समय पाया गया कि उपखनिज हेतु लोड होने आने वाले वाहनों में माईनटैग लगा हुआ है तथा वे–ब्रिज के पास धर्मकांटे पर पी0टी0जेट कैमरा (360 डिग्री) लगा हुआ है।
- जॉच के समय अनुज्ञाधारक द्वारा हरियाणा राज्य की तरफ से परिवहन किया जाना नहीं पाया गया। अनुज्ञा क्षेत्र से हरियाणा राज्य की तरफ लगने वाली सीमा के रास्ते को हरियाणा राज्य द्वारा अवरूद्ध किया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा बागपत से ही उपखनिज का परिवहन हेतु बागपत में ही वे–ब्रिज लगाया गया है।

उपरोक्त जॉच अनुज्ञाधारक मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत की उपस्थिति में की गयी है।

उक्त अनुज्ञा स्वीकृत से पूर्व ग्राम नैथला खादर में हरियाणा राज्य के जनपद सोनीपत के अज्ञात लोगों द्वारा अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में थाना बागपत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–0372, 0888, 0176 दर्ज है तथा पुनः दिनांक 27.01.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें प्रथम सूचना 0097 दर्ज करायी गयी है। यह भी अवगत कराना है कि शिकायती पत्रों में उल्लिखित दूरभाष नम्बरों से सम्पर्क करने पर शिकायतकर्ताओं द्वारा मौके पर उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गयी तथा कतिपय प्रार्थना पत्रों में दूरभाष नम्बर अंकित नहीं था जिस कारण उनसे सम्पर्क नहीं किया जा सका।

जाँच आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

28/02/026

क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे,
ग्राम नैथला खादर

क्षेत्रीय कानूनगो सर्वे,
ग्राम नैथला खादर

क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी,
गाजियाबाद।

अवर अभियन्ता, क्षेत्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ।

वन क्षेत्राधिकारी,
बागपत।

332

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः 2016 / खन0अनु0–बागपत / नोटिस / 2025–26 दिनांकः 20 फरवरी, 2026

–:नोटिस:–

मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह
पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा,
तहसील बड़ौत, जनपद बागपत।

ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु आपके पक्ष में सशर्त स्वीकृत है। स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र की जॉच आपकी उपस्थिति में दिनांक 28.02.2026 को क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय कानूनगो सर्वे, बागपत, क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी, गाजियाबाद, अवर अभियन्ता, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ व वन क्षेत्राधिकारी, बागपत द्वारा की गयी।

उक्त टीम द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या दिनांक 28.02.2026 में उल्लिखित किया गया है कि "अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी 2 पिटों में उपखनिज बालू का उठान एवं परिवहन पाया गया है जिसका विवरण निम्न–

(ए) पिट संख्या–01–जियो कोर्डिनेट 28^0 59' 58.032" N 77^0 11' 58.55" E के आस–पास औसत 62 मीटर लम्बाई 12 मीटर चौडाई तथा 0.5 मीटर की गहराई में 372 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।

(बी) पिट संख्या–02–जियो कोर्डिनेट 29^0 0' 6.702" N 77^0 11' 51.56" E के आस–पास औसत 81 मीटर लम्बाई 14 मीटर चौडाई तथा 0.35 मीटर की गहराई में 396.9 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।

इस प्रकार अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 2 पिटों में कुल 768.9 घन मीटर बालू का अवैध उठान एवं परिवहन किया गया है जिस पर रायल्टी 80 रूपये प्रति घन मीटर की दर से 61512 तथा खनिज मूल्य रायल्टी का 5गुणा 307560 इस प्रकार कुल रायल्टी एवं खनिज मूल्य की धनराशि 3,69,072–00 एवं खनन योजना एवं अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) के नियम 60(2) के अन्तर्गत 50,000–00 की शास्ति की देयता बनती है, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत किया जाना आवश्यक है।"

उक्त जॉच आख्या के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर जॉच आख्या में उल्लिखित स्वीकृत क्षेत्र के बाहर उपखनिज का उठान एवं परिवहन एवं अनुज्ञा शर्तो के उल्लंघन के संबंध में अपना लिखित जवाब तथा जॉच आख्या में उल्लिखित धनराशि 4,19,072–00 को निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 में जमा कराते हुए चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा उक्त धनराशि निर्धारित नियत समयावधि में अपना जवाब अथवा धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
बागपत।

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदया, बागपत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
3– थानाध्यक्ष, कोतवाली, बागपत को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– तहसीलदार, बागपत को नोटिस की प्रति दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस सम्बन्धित को तामिल कराते हुए तामीली आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
बागपत।

संलग्नक-14

CHALLAN

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Uttar PradeshTreasury Form-209(1) - Challan for Depositing Money

[To be submitted through Net-Payment]

Challan No.: **AKV260010727**	Challan Date:**19/03/2026**
Assessment Year:**2025-2026**	Tax Period: **ANNUAL**
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	***Rajeev Singh So Shri Kaluram***
Depositor Address:	***Ms Gaurav Builder Pro Ro Badarkha Tehsil Baraut District Baghpat***

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
0853001070100000	लघु खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क की प्राप्तियाँ	5	419072.00
	Totals of the above heads	--	419072.00

A SUM OF Rs. 419072.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.

(Depositor Remarks->Pit No 1 and Pit No 2 se bahar Illegal Mining penalty 419072 Rs)

THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAGMMNJG3; Scroll Date:-19/03/2026

पत्रांक 2016/ख0लि0-25 दिनांक 28-1-26

के क्रम में जमा

334

कमांक – 15

जिलाधिकारी।
[redacted]पत।

महोदया,

जाँच आख्या

सादर अवगत कराना है कि ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जाँच दिनांक 09.03.2026 को क्षेत्रीय लेखपाल/क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के साथ किया गया जाँच आख्या निम्नवत् है–

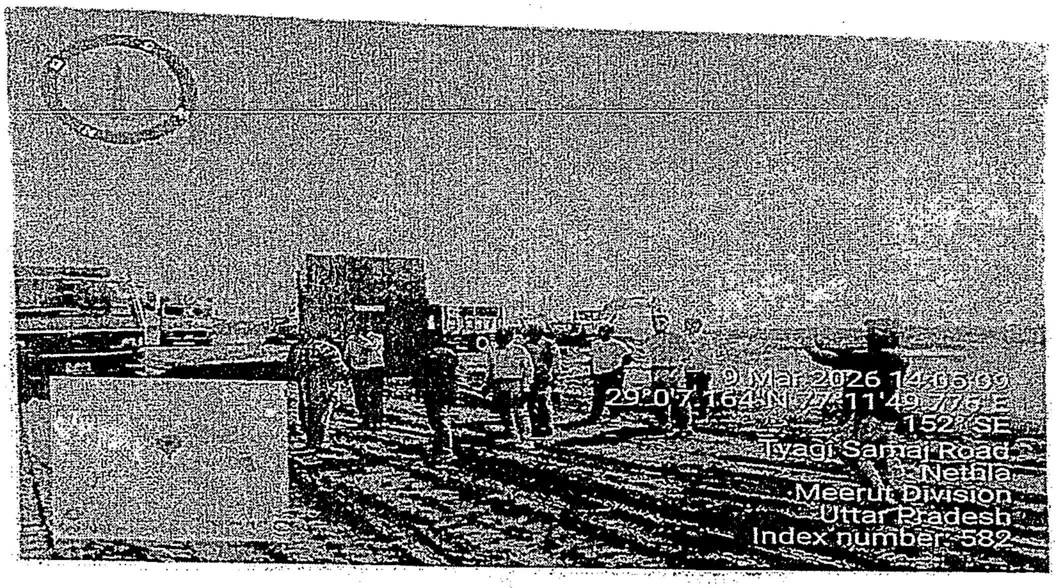

(01)– ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा स्वीकृत है।

(02)– अनुज्ञापी द्वारा जाँच दिनांक 09.03.2026 तक 28490 घन मीटर का परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0–11 कुल 2108 वाहनों हेतु निर्गत किया गया है।

02– जाँच में पाया गया कि अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी 01 पिट में उपखनिज का उठान एवं परिवहन पाया गया है जिसका विवरण निम्न–

पिट संख्या–01–जियो कोर्डिनेट 29⁰ 0'9.738" N 77⁰ 11' 43.626" E के आस–पास औसत 60 मीटर लम्बाई 44 मीटर चौडाई तथा 0.45 मीटर की गहराई में 1188 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है। जिसका रास्ता अनुज्ञा क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। इससे स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त खनन/परिवहन किया गया है।

इस प्रकार अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1 पिट में कुल 1188 घन मीटर बालू का अवैध उठान एवं परिवहन किया गया है जिस पर रायल्टी 80 रूपये प्रति घन मीटर की दर से 95,040–00 तथा खनिज मूल्य रायल्टी का 5 गुणा 4,75,200 इस प्रकार कुल रायल्टी एवं खनिज मूल्य की धनराशि 5,70,240–00 एवं खनन योजना एवं अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) के नियम 60(2) के अन्तर्गत 50,000–00 की शास्ति की देयता बनती है, इस प्रकार कुल धनराशि 6,20,240–00 रूपये बनती है, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत किया जाना आवश्यक है।

जाँच आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

09/03/026	09/3/026	09/03/26		09/03/26
क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला	क्षेत्रीय कानूनगो, ग्राम नैथला	ज्येष्ठ खनन अधिकारी/ प्रवर्तन अधिकारी, गाजियाबाद।	नायब तहसीलदार, बागपत	उपजिलाधिकारी, बागपत।

संलग्नक -16

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः 2037 /खन0अनु0–बागपत/नोटिस/2025–26 दिनांकः 12 मार्च, 2026

—:नोटिसः—

मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह
पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा,
तहसील बडौत, जनपद बागपत।

ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु आपके पक्ष में सशर्त स्वीकृत है। स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र की दिनांक 09.03.2026 को क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे, ग्राम नैथला खादर, क्षेत्रीय कानूनगो सर्वे, बागपत, ज्येष्ठ खान अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी, गाजियाबाद, नायब तहसीलदार सर्वे, बागपत व उपजिलाधिकारी, बागपत की संयुक्त टीम द्वारा जॉच की गयी। उक्त टीम द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या दिनांक 09.03.2026 निम्नवत् हैः—

(01)– ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा स्वीकृत है।

(02)– अनुज्ञापी द्वारा जॉच दिनांक 09.03.2026 तक 28490 घन मीटर का परिवहन प्रपत्र ई0एम0एम0–11 कुल 2108 वाहनों हेतु निर्गत किया गया है।

02– जॉच में पाया गया कि अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर भी 01 पिट में उपखनिज का उठान एवं परिवहन पाया गया है जिसका विवरण निम्न–

पिट संख्या–01–जियो कोर्डिनेट 29° 0'9.738" N 77° 11' 43.626" E के आस–पास औसत 60 मीटर लम्बाई 44 मीटर चौडाई तथा 0.45 मीटर की गहराई में 1188 घन मीटर बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है। जिसका रास्ता अनुज्ञा क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। इससे स्पष्ट है कि अनुज्ञाधारक द्वारा उक्त खनन/परिवहन किया गया है।

इस प्रकार अनुज्ञा धारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 1 पिट में कुल 1188 घन मीटर बालू का अवैध उठान एवं परिवहन किया गया है जिस पर रायल्टी 80 रूपये प्रति घन मीटर की दर से 95,040–00 तथा खनिज मूल्य रायल्टी का 5 गुणा 4,75,200 इस प्रकार कुल रायल्टी एवं खनिज मूल्य की धनराशि 5,70,240–00 एवं खनन योजना एवं अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) के नियम 60(2) के अन्तर्गत 50,000–00 की शास्ति की देयता बनती है, इस प्रकार कुल धनराशि 6,20,240–00 रूपये बनती है, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत किया जाना आवश्यक है।

उक्त जॉच आख्या के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर जॉच आख्या में उल्लिखित स्वीकृत क्षेत्र के बाहर उपखनिज का उठान एवं परिवहन एवं अनुज्ञा शर्तो के उल्लंघन के संबंध में अपना लिखित जवाब तथा जॉच आख्या में उल्लिखित धनराशि 6,20,240–00 को निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 में जमा कराते हुए चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा उक्त धनराशि निर्धारित नियत समयावधि में अपना जवाब अथवा धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

12/03/26

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी खनन
बागपत।

खनिज/स.-17

Untitled Page

ACKNOWLEDGEMENT

(NOT TO BE TREATED AS CHALLAN)

(अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग, उ0प्र0)

Government of Uttar Pradesh

Transaction No.: AKV260013512	Transaction Date:07/04/2026
Assessment Year:2026-2027	Tax Period: ANNUAL
Name of the Bank:	
Unique Id:	
Depositor Name:	Rajeev Singh So Shri Kaluram
Depositor Address:	Ms Gaurav Builder Pro Ro Badarkha Tehsil Baraut District Baghpat

Head	Description	Serial No.	Amount (in Rs.)
085300107010000	लघु खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क की प्राप्तियाँ	5	620240.00
	Totals of the above heads	--	620240.00

A SUM OF Rs. 620240.00 AGAINST THE HEADS MENTIONED ABOVE --[THROUGH NET-PAYMENT TRANSACTION]-- ON HAS BEEN DEPOSITED BY THE DEPOSITOR.
(Depositor Remarks->Pit No 1 and Pit No 2 se bahar Illegal Mining penalty 620240 Rs)
THE BANK REFERENCE NO. RECEIVED AFTER THE TRANSACTION IS : CPAGOMRTS2, Scroll Date:-NA
Note:- **Please contact SBI Government Business Branch, Lucknow or Director Treasury, Jawahar Bhawan, Lucknow referring CPAGOMRTS2 for status of the deposit.**

पत्रांक 2037/खनिज-25 दिनांक 12-3-2026 के क्रम में जमा।

प्रपत्र -18

पृ०प०
13-4-2026

पृष्ठांक 95
07-04-026

No 1946/CC-JD
दि० 16-3-2026
दि० 15-4-2026

→ खनन अधिकारी
को प्रकरण में
नियमानुसार आवश्यक
कार्यवाही सुनिश्चित
करायें।

सेवा में,

जिलाधिकारी
बागपत।

महोदया,

1946/CC-JD
16-3-2026

जाँच आख्या

सादर अवगत कराना है कि हिन्दी खबर डिजिटल के माध्यम से दिनांक 27.03.2026, TNI24NEWS के माध्यम से दिनांक 29.03.2026 एवं मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 बागपत से प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 16.03.2026 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 30.03.2026 को ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत खनन अनुज्ञा/पट्टा क्षेत्र की जाँच क्षेत्रीय लेखपाल/क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के साथ किया गया। जाँच आख्या निम्नवत् है–

15-04-26
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बागपत

(01)– ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बड़ौत ज़िला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा स्वीकृत है। जिसमें जाँच के समय कार्य बन्द पाया गया।

02– ग्राम नैथला खादर में जाँच के समय पाया गया कि पट्टा धारक स्वीकृत क्षेत्र में जल स्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किये जाने के चिन्ह पाये गये जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली के नियम–42 (ज) का उल्लंघन है जिस पर उक्त नियमावली के नियम–60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000/– की शास्ति की देयता अनुज्ञाधारक पर बनती है जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत करते हुए उपरोक्त धनराशि जमा कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

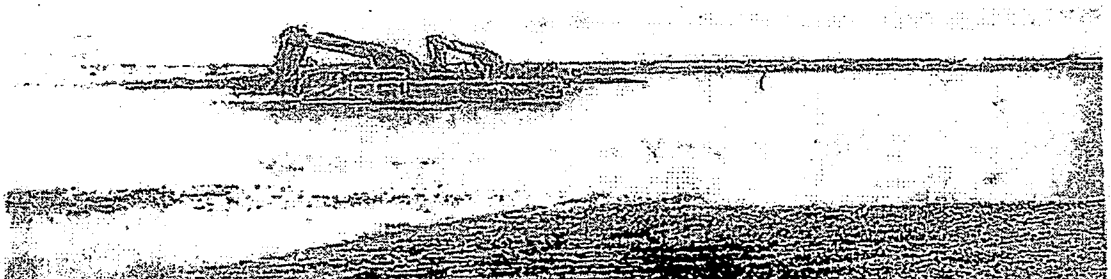

03– दोनों क्षेत्रों में स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ लगे हुए पाये गये।
04– दोनों क्षेत्रों के वेबब्रिज में कैमरे लगे हुए पाये गये।
05– दोनों क्षेत्रों में अनुज्ञाधारक एवं पट्टाधारक द्वारा रास्ते में पानी का छिड़काओं किया था।
06– दोनों क्षेत्रों में अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु वे–ब्रिज लगा हुआ है।

जाँच आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

473/ज्ञा-J/26
10-4-2026
महोदया,
नायब तहसीलदार सर्वे बागपत की आख्या सादर प्रेषित।

उप जिलाधिकारी–सदर

30/03/026
मोनू
सर्वे लेखपाल

30/3/026
नन्द किशोर
सर्वे कानूनगो

30/3/26
सर्वे नायब तहसीलदार

338

संलग्नक–19

कार्यालय जिलाधिकारी, बागपत।

पत्रांकः 2041/खन0अनु0–बागपत/नोटिस/2026–27 दिनांकः 15 अप्रैल, 2026

–:नोटिसः–

मै0 गौरव बिल्डर प्रो0 श्री राजीव सिंह
पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा,
तहसील बडौत, जनपद बागपत।

ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु आपके पक्ष में सशर्त स्वीकृत है।

उपजिलाधिकारी, बागपत द्वारा प्राप्त शिकायतों के कम में ग्राम नैथला खादर में स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के सम्बन्ध में क्षेत्रीय लेखपाल, सर्वे ग्राम नैथला खादर, सर्वे कानूनगो, बागपत व सर्वे नायब तहसीलदार, बागपत द्वारा दिनांक 30.03.2026 को संयुक्त रूप से की गयी जॉच अपने पृष्ठांकन संख्या 473 दिनांक 10.04.2026 के द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। उपजिलाधिकारी, बागपत द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में उल्लिखित किया गया है कि–

1– ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत, जिला बागपत के पक्ष में उपखनिज बालू का खनन अनुज्ञा स्वीकृत है। जिसमें जॉच के समय कार्य बन्द पाया गया।

2– ग्राम नैथला खादर में जॉच के समय गया कि अनुज्ञाधारक स्वीकृत क्षेत्र में जल स्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किये जाने के चिन्ह पाये गये जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली के नियम–42 (ज) का उल्लंघन है जिस पर उक्त नियमावली के नियम–60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000–00 की शास्ति की देयता अनुज्ञाधारक द्वारा बनती है जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाधारक को नोटिस निर्गत करते हुए उपरोक्त धनराशि जमा कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्तनुसार उपजिलाधिकारी, बागपत द्वारा उपलब्ध करायी गयी से स्पष्ट है कि आपके द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में जल स्तर के नीचे से उपखनिज का उठान किया गया है। जोकि उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली के नियम–42 (ज) का उल्लंघन है जिस पर उक्त नियमावली के नियम–60 (4) के अन्तर्गत 5,00,000–00 की शास्ति की देयता बनती है।

अतः उपजिलाधिकारी, बागपत द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त जॉच आख्या दिनांक 10.04.2026 के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त नोटिस प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर जॉच आख्या में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में अपना लिखित जवाब तथा जॉच आख्या में इंगित धनराशि अंकन 5,00,000–00 को निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 में जमा कराते हुए चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि आपके द्वारा उक्त धनराशि निर्धारित नियत समयावधि में अपना जवाब अथवा धनराशि जमा नहीं करायी जाती है तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदांयी होंगे।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
बागपत।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदया, बागपत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
बागपत।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

अपर निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्र सं0 :– 140 /क्षे0का0गा0/25–26 दिनांक: 23/03/ 2026

विषय:– ग्राम नैथला खादर के गाटा सं0 1/2 में मै0 गौरव बिल्डर्स प्रो0 श्री राजीव सिंह के पक्ष में स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र की जांच आख्या।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद व तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर के गाटा सं0 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में मै0 गौरव बिल्डर्स प्रो0 श्री राजीव सिंह के पक्ष में 06 माह की अल्प अवधि हेतु पूर्व में स्वीकृत एवं सीमांकित बालू खनन अनुज्ञा क्षेत्र (दिनांक 06.02.2026 से 06 माह अवधि हेतु) का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.03.2026 को श्री मोनू सर्वे लेखपाल, बागपत, श्री राजीव सिंह अनुज्ञापत्र धारक व स्थानीय निवासी श्री कृष्णपाल की उपस्थिति में किया गया, साथ में जनपद गाजियाबाद के हमराही होमगार्ड भी उपस्थित रहें। स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र का भू–निर्देशांक निम्नवत् है :–

क0सं0	पिलर सं0	अक्षांश	देशान्तर
1.	A	29°00'10.61"N	77°11'49.29" E
2.	B	28°59'55.51" N	77°11'54.23" E
3.	C	28°59'47.66"N	77°12'04.38" E
4.	D	28°59'44.99" N	77°11'57.54" E
5.	E	28°59'54.35" N	77°11'48.63" E
6.	F	29°00'05.91" N	77°11'45.14" E

उपरोक्त भू–निर्देशांक के अनुसार क्षेत्र का मिलान किया गया तथा निरीक्षण में पाया गया कि :–

1. खनन अनुज्ञा क्षेत्र के उत्तर दिशा में मौके पर पिलर सं0 A तथा F के मध्य आंशिक भाग में यमुना नदी का प्रवाह विद्यमान है। मौके पर सभी सीमा स्तम्भ लगे हुये पाये गये।

2. दिनांक 12.02.2026 से उक्त क्षेत्र में खनन एवं परिवहन कार्य किया जा रहा है।

3. मौके पर तौल मशीन, पी0टी0जेड0 कैमरा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं बोर्ड लगा पाया गया।

4. पूर्व में स्वीकृत एवं सीमांकित क्षेत्र के अधिकांश सूखे भाग में वर्तमान में सीमास्तम्भ A, B व C की तरफ खनन एवं परिवहन कार्य किया जाना पाया गया।

5. खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र के सूखे भाग में स्केपर द्वारा क्षेत्र को समतल रखते हुये किया गया है। लेवलर/स्केपर का प्रयोग कर क्षेत्र में भूमि की सतह को समतलीकरण को ध्यान में रखकर किया गया है। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि अनियमित आकार के क्षेत्र से खनन एवं परिवहन कार्य किया गया है, जिसका आंकलन हैण्ड हेल्ड जी0पी0एस0 मशीन व मापन टेप से किया गया। क्षेत्र में 61723.07 वर्गमीटर के अनियमित आकार के क्षेत्र से औसत 0.65 मीटर की गहराई से कुल 40119.99 घ0मी0 साधारण बालू का खनन एवं परिवहन किया जाना पाया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 20.03.2026 को निरीक्षण के समय खनन एवं परिवहन कार्य नहीं किया जा रहा था। विभागीय पोर्टल के अनुसार दिनांक 20.03.2026 के अपराहन् तक कुल 40077 घ0मी0 साधारण बालू का परिवहन किया जाना पाया गया। (छायाप्रति संलग्न)

6. उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि पत्रावली अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.02.2026 को क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ व राजस्व विभाग द्वारा क्षेत्र की जांच की गयी थी, जिसमें स्वीकृत क्षेत्र के बाहर 02 पिट्स में उपखनिज बालू का उठान एवं परिवहन किया जाना पाया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् है :—

A	पिट संख्या—1 जियो कॉर्डिनेट 28° 59' 58.032" N 77°11' 58.55" E के आस—पास औसत 62 मीटर लम्बाई 12 मीटर चौड़ाई तथा 0.5 मीटर की गहराई में 372 घ0मी0 बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।
B	पिट संख्या—2 जियो कॉर्डिनेट 29° 00' 6.702" N 77°11' 51.56" E के आस—पास औसत 81 मीटर लम्बाई 14 मीटर चौड़ाई तथा 0.35 मीटर की गहराई में 396.9 घ0मी0 बालू का उठान एवं परिवहन किया गया है।

जिसमें नियमानुसार कार्यवाही करते हुये रू0 4,19,072/— रायल्टी, खनिज मूल्य व अर्थदण्ड अधिरोपित कर जमा कराया गया है। (चालान की छायाप्रति संलग्न है)

7. जनपद बागपत में स्वीकृत उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/परिवहन व ओवरलोडिंग की रोकथाम हेतु सतत् रखे जाने के लिये जिलाधिकारी, बागपत महोदया द्वारा कार्यालय आदेश सं0 1095 दिनांक 26.02.2026 द्वारा जांच दल का गठन किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

8. उक्त क्षेत्र की जांच जनपद के खान अधिकारी श्री विरेन्द्र कुमार व श्री योगेश शुक्ला, सर्वेक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद द्वारा दिनांक 17.03.2026 को किया गया था। (छायाप्रति संलग्न)

9. जांच के समय खनन अनुज्ञाधारक श्री राजीव द्वारा अधोहस्ताक्षरी को 01 प्रार्थना पत्र दिनांक 20.03.2026 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि— *"जनपद*

बागपत में भानू किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व जिलाध्यक्ष द्वारा मेरे खनन पट्टे से 07 ट्रक बालू रोजाना की मांग की गयी है, जिसको मेरे द्वारा मना करने पर दिनांक 01.03.2026 को सुबह 11.00 बजे खनन पट्टे के रास्ते पर टैण्ट आदि लगाकर धरना दिया गया। मेरे द्वारा प्रशासन को अवगत कराने पर रात्रि 3.00 बजे प्रशासन द्वारा धरना समाप्त कराया गया, ये लोग भविष्य में भी ऐसा कर सकते है।" तथा खनन अनुज्ञाधारक द्वारा इस अवैध वसूली से निजात दिलाये जाने एवं पट्टे को सूचारू रूप से संचालित हेतु अनुरोध किया गया है।" (छायाप्रति संलग्न)

अतः उपरोक्तानुसार आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

23/3/26

(डा0 नवीन कुमार दास)
अपर निदेशक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद।

दिनांक 20.03.2026 को जांच के दौरान लिये गये फोटोग्राफ्स

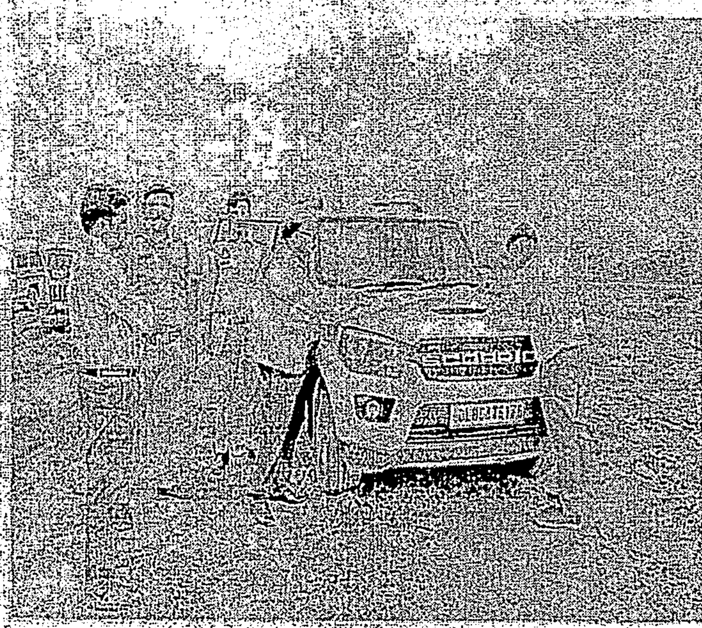

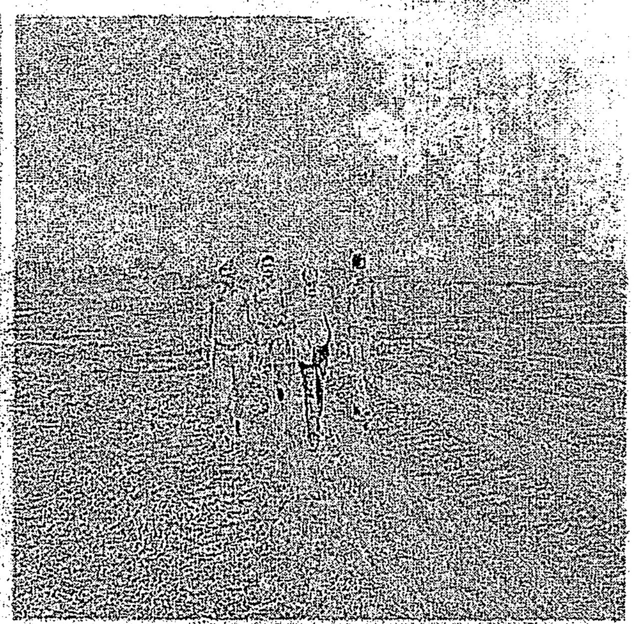

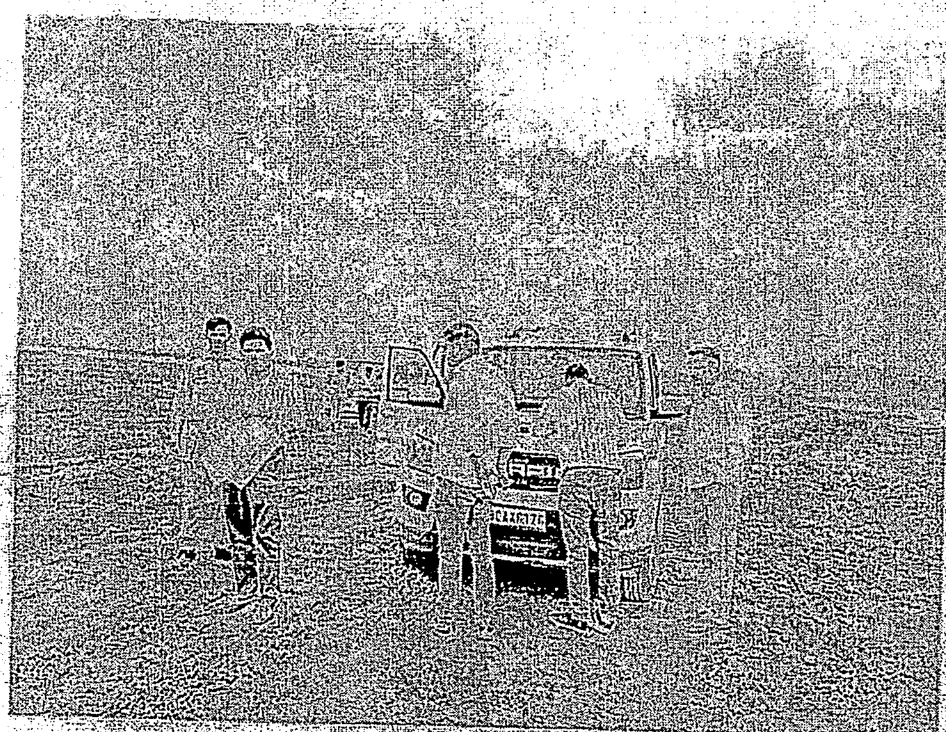

एनेक्सर -21

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone 0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email. info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

Category : RED

259934/UPPCB/Meerut(UPPCBRO)/CTO/both/BAGHPAT/2026

Application Id : 35374659

Date: 29/01/2026

To,

M/s

NAITHLA KHADAR SAND MINING PROJECT

GATA NO. 1/2, VILLAGE NAITHLA KHADAR, TEH AND DIST. BAGHPAT,BAGHPAT,

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **NAITHLA KHADAR SAND MINING PROJECT** located at **GATA NO. 1/2, VILLAGE NAITHLA KHADAR, TEH AND DIST. BAGHPAT,BAGHPAT,** subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA NAITHLA KHADAR SAND MINING PROJECT **granted for the period from 29/01/2026 to** 31/07/2026 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	ORDINARY SAND 186750 CUM (for 06 month)	ORDINARY SAND 186750 CUM (for 06 month)	Cubic Meters/Year

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	0.88	Septic Tank	

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be

PRAVEEN Digitally signed by

immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be [illegible] immediately.

(v) The [illegible] sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL -http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-

...ance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

...uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board. within 3 months time failing which CTO will be revoked

General Conditions:-

1 The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.

2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.

3 Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.

4 The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant

5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof

6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.

7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.

8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.

9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.

10 In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.

11 The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point

12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1 This CTO is valid only for the mining of ORDINARY SAND 186750 CUM (for 06 month) in favour of M/s NAITHLA KHANDAR SAND MINING PROJECT, GATA NO- 1/2, VILLAGE- NAITHLA KHADAR, TEHSIL AND DIST BAGHPA.

2. In case of any change in production capacity, process, raw materials use etc. the industry will have to intimate the Board. For any enhancement of the above, fresh Consent to Establish has to be obtained from U P Pollution Control Board

3 Project shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time

...ect shall not installed any source of Air Pollution without obtaining prior CTE from the Baord

...of violation of above mentioned conditions or any public complaint the consent may be withdrawn in accordance with law

6. Project shall submit first compliance report with respect to conditions imposed within 30 days of issue of this permission.

7. The Project should be operated in such a manner that it does not adversely affect the environment and the solid waste generated such as ash etc. be disposed in eco friendly manner.

8. Project shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended. Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.

9. The unit shall obtain prior consents in the event of any addition of new emission generation sources or alteration of existing emission sources in accordance with section- 21/22 of air Act 1981 (as amended respectively).

10. If the CPCB or UPPCB issues the Closure order against the industry this consent order stands. automatically suspended for that period.

11. The Project Proponent shall arrange the facilities to treat the domestic effluent either by septic tank or provide any mobile toilet facility. In no case proponent is allowed to discharge ant trade effluent from the lease area.

12. The Project Proponent shall install water sprinkling at different dust emission sources like mining area, by transporiation and loading/unloading of sand.

13. The validity of this CTO is upto 31.07.2026 up to the validity of mining lease. After this period this CTO will become null and void.

14. The project shall comply with all conditions mentioned in the EC issued by State Level Environment Impact Assessment Authority Uttar Pradesh vide vide letter dated 17-01-2026 EC Identification No. EC25B0107UP5412687N and File no. 9988-9255.

15. Unit shall comply with Mining Lease issued by Director Geology and Mining, Uttar Pradesh. LOI issued by Office of District Magistrate (Mining Department) and Cluster certificate for mining from Office of the District Magistrate (Mining Department).

16. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.

17. Project shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWD.

18. Project should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.

19. Project shall submit Ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.

20. All trucks, tractors used in transportation of sand/morrum shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.

21. Water will be sprayed after loading activity (if sand/morrum collected could be dry condition)

22. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.

23. Project should comply with the provisions of various waste management Rules issued under the provisions of Environmental (Protection) Rules, 1986. Waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.

PRAVEEN KUMAR Digitally signed by PRAVEEN KUMAR Date: 2026.01.30 17:14:56 +05'30'

[illegible] UPPCB Meerut

CEO-3

PRAVEEN KUMAR Digitally signed by PRAVEEN KUMAR Date: 2026.01.30 17:15:10 +05'30'

CEO-3

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

<u>जनसहभागिता का सन्देश</u>

- स्वच्छता – [illegible] व अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- [illegible] एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प जैसे [illegible] से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचे, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें | इनके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – कचरा रीसाइक्लर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाने से पहले - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम जैविक अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका पृथक्कीकरण करें
- अनुपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के उचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 [illegible] भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- [illegible] के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं [illegible] नल को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- [illegible] के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- [illegible] के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटिंग विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

संलग्नक - 22

जिलाधिकारी
बागपत।

महोदया,

जाँच आख्या

सादर अवगत कराना है कि आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2100 दिनांक 01.04.2026 के कम में आपकी उपस्थिति में आज दिनांक 15.04.2026 को ग्राम नैथला खादर संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड में दिनांक 06.02.2026 से छः माह हेतु स्वीकृत खनन अनुज्ञा में उपखनिज बालू के खनन की मात्रा की जॉच की गयी। जॉच आख्या निम्नवत् है:–

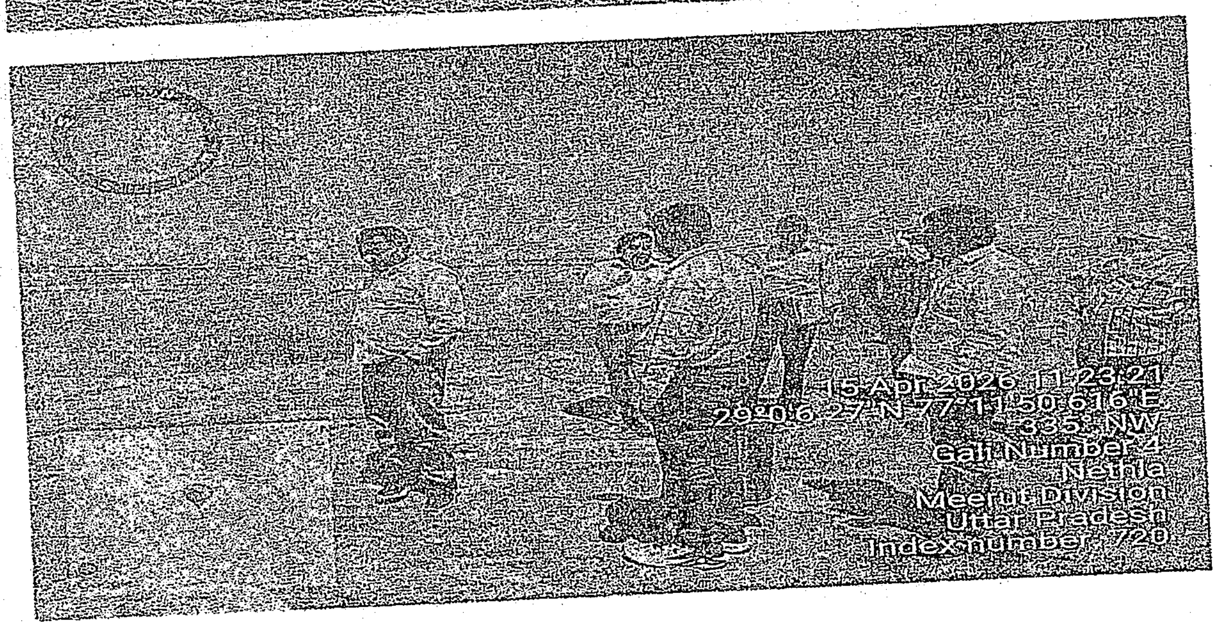

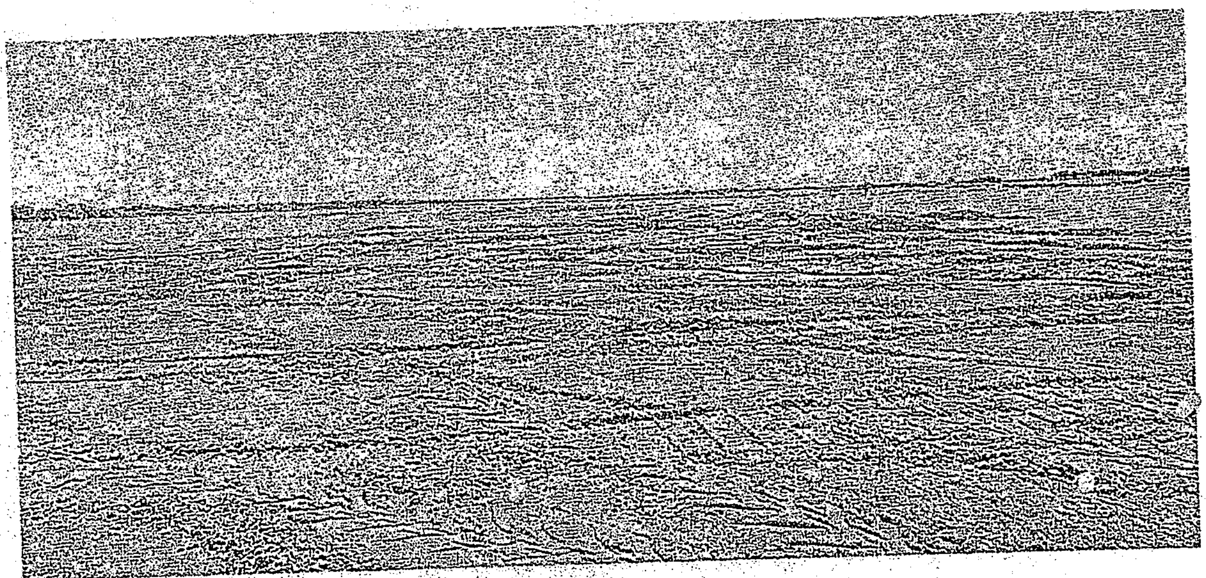

01— ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में दिनांक 06.02.2026 से 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर्स, प्रो0 श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा तहसील बडौत जिला बागपत के पक्ष में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा शर्तो के अधीन स्वीकृत है।

02— जॉच के समय मौके पर स्वीकृत क्षेत्र में किये गये उपखनिज बालू के खनन की मात्रा का आंकलन जी0पी0एस0 मशीन एवं टेप के माध्यम से की गयी पैमाइश के अनुसार अनियमित आकार में 51341 वर्गमीटर क्षेत्र में औसत 1.2 मीटर गहराई में से लगभग कुल 61610 घनमीटर का खनन/परिवहन किया जाना पाया गया।

जाँच आख्या महोदया की सेवा में सादर प्रेषित है।

क्षेत्रीय लेखपाल सर्वे,
ग्राम नैथला

क्षेत्रीय कानूनगो सर्वे,
ग्राम नैथला

सर्वेक्षक,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय,
गाजियाबाद।

ज्येष्ठ खान अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, गाजियाबाद।

SN-12

Report

DATE 06-02-2026 TO 15-04-2026

SN	DISTRICT NAME	NAME OF LEASE	MINERAL NAME	TOTAL QUANTITY ALLOTEMENT IN CUBIC METER	NO OF EMM11	PRODUCTION QUANTITY
1	BAGAPAT	GAURAV BUILDERS PRO RAJEEV	ORDINARY SAND	186750	4667	61649

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवामें,

Deputy Commissioner
Sonipat (Haryana)

पत्रांकः 381/ख0अनु0–बागपत/2025 दिनांकः 28/06/2025

विषयः– जनपद बागपत की सीमा के अन्तर्गत यमुना नदी क्षेत्र से खनन माफियाओं द्वारा उपखनिज साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम में सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर में उपखनिज साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन के संबंध में बार–बार शिकायते प्राप्त हो रही हैं। पूर्व में प्राप्त शिकायतो के आधार पर उक्त क्षेत्र में साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन की जॉच उपरान्त कोतवाली बागपत, जनपद बागपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0888 दिनांक 19.10.2024 व द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0176 दिनांक 06.04.2025 को दर्ज करायी जा चुकी है तथा दिनांक 21.06.2025 को भी उक्त क्षेत्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त की गयी सयुंक्त स्थलीय जॉच में साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन की पुष्टि हुई है। जॉच आख्या दिनांक 04.04.2025 के अनुसार अवैध खनन के परिवहन का रास्ता हरियाणा राज्य के सोनीपत जनपद से होकर गुजरता है।

उक्त के अतिरिक्त तहसीलदार सदर, बागपत, खान निरीक्षक, बागपत एवं थानाध्यक्ष, थाना बागपत की जॉच आख्या दिनांक 21.06.2025 में भी उल्लिखित किया गया है कि ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 से अवैध बालू खनन के परिवहन का रास्ता ग्राम गढमेरपुर जनपद सोनीपत हरियाणा राज्य से होकर बनाया गया है तथा जनपद सोनीपत के ग्राम गढमेरपुर के ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर मौखिक रूप से बताया गया कि कुछ लोग रात्रि में ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी में अवैध बालू खनन/परिवहन करते हैं तथा उक्त बालू को जनपद सोनीपत के कई स्थानो पर विक्रय करते है। अवैध खनन कर्ताओं का नाम बताने में ग्राम वासियों द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी। खनन माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बढते जा रहे है और राजस्व की लगातार भारी क्षति हो रही है। ऐसें में बालू खनन माफियाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक हो गया है। अवैध परिवहन का रास्ता गढमेरपुर, मिकरपुर गढ नाका थाना बहालगढ के अन्तर्गत आता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी से साधारण बालू के खनन माफियाओ द्वारा किये जा रहे अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी,
बागपत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बागपत।

संलग्नक-26

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बागपत।

सेवा में,

Deputy Commissioner,
Sonipat (Haryana)

पत्रांकः 1007 /ख0अनु0–बागपत/2026 दिनांकः 28 जनवरी, 2026

विषयः– जनपद बागपत की सीमा के अन्तर्गत यमुना नदी क्षेत्र से खनन माफियाओं द्वारा उपखनिज साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम में सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 383/ख0अनु0–बागपत/2025 दिनांक 28.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी से साधारण बालू के खनन माफियाओ द्वारा किये जा रहे अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया था। किन्तु उक्त क्षेत्र में खनन माफियाओ द्वारा लगातार अवैध बालू का खनन/परिवहन किया जा रहा है जिसके संबंध में बार–बार शिकायतें प्राप्त हो रही है।

पूर्व में प्रेषित उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया था कि जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर में उपखनिज साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन के संबंध में बार–बार शिकायतें प्राप्त हो रही है। पूर्व में प्राप्त शिकायतो के आधार पर उक्त क्षेत्र में साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन की जॉच उपरान्त कोतवाली बागपत, जनपद बागपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0888 दिनांक 19.10.2024 व द्वितीय प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0176 दिनांक 06.04.2025 को दर्ज करायी जा चुकी है तथा दिनांक 21.06.2025 को भी उक्त क्षेत्र में शिकायत प्राप्त होने के उपरान्त की गयी संयुक्त स्थलीय जॉच में साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन की पुष्टि हुई है। जॉच आख्या दिनांक 04.04.2025 के अनुसार अवैध खनन के परिवहन का रास्ता हरियाणा राज्य के सोनीपत जनपद से होकर गुजरता है तथा तहसीलदार सदर, बागपत, खान निरीक्षक, बागपत एवं थानाध्यक्ष, थाना बागपत की जॉच आख्या दिनांक 21.06.2025 में भी उल्लिखित किया गया है कि ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 से अवैध बालू खनन के परिवहन का रास्ता ग्राम गढमिरकपुर जनपद सोनीपत, हरियाणा राज्य से होकर बनाया गया है तथा जनपद सोनीपत के ग्राम गढमिरकपुर के ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर मौखिक रूप से बताया गया कि कुछ लोग रात्रि में ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी में अवैध बालू खनन/परिवहन करते हैं तथा उक्त बालू को जनपद सोनीपत के कई स्थानों पर विक्रय करते है। अवैध खननकर्ताओं का नाम बताने में ग्राम वासियों द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी। खनन माफियाओं के हौसले दिन प्रतिदिन बढते जा रहे है और राजस्व की लगातार भारी क्षति हो रही है। ऐसे में बालू खनन माफियाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक हो गया है। अवैध परिवहन का रास्ता गढमेरपुर, मिकरपुर गढ नाका थाना बहालगढ के अन्तर्गत आता है।

दिनांक 24.01.2026 को क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम नैथला खादर द्वारा थाना कोतवाली बागपत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम नैथला खादर 1/2 की जॉच क्षेत्रीय कानूनगो के साथ की गयी जिसमें पाया गया कि भारी मात्रा में उपखनिज साधारण बालू का अवैध खनन एवं अवैध परिवहन किया गया है जिसका रास्ता हरियाणा राज्य के सोनीपत जनपद के ग्राम गढमिरकपुर से होकर गुजरता है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी से साधारण बालू के खनन माफियाओ द्वारा किये जा रहे अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अपने स्तर से खनन अधिकारी, सोनीपत व सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(अस्मिता लाल)
जिलाधिकारी,
बागपत।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– 01–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02–पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बागपत को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
03–क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बागपत।

[illegible]

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): बागपत
   P.S. (थाना): बागपत
   Year (वर्ष): 2024
   FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0888
   Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 19/10/2024 20:25

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान अधिनियम, 1952	4
2	खान अधिनियम, 1952	21

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): शनिवार   Date From (दिनांक से): 19/10/2024   Date To (दिनांक तक): 19/10/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर 5   Time From (समय से): 14:00 बजे   Time To (समय तक): 14:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

   Date (दिनांक): 19/10/2024   Time (समय):20:18 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

   Entry No. (प्रविष्टि सं.): 102   Date & Time (दिनांक और समय): 19/10/2024 20:18 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Scanned with OKEN Scanner

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 08 किमी   Beat No. (बीट सं.): हल्का सरूरपुर

(b) Address (पता): ग्राम नैथला खादर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अनुज कुमार खान निरीक्षक बागपत
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1989
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं॰):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं॰):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	बागपत,बागपत,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	बागपत,बागपत,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत

Scanned with OKEN Scanner

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7739635239

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात			1. अज्ञात,बागपत,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर .... प्रथम सूचना रिपोर्ट। सेवा में, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बागपत, जनपद बागपत। पत्रांक: 694 / एफआईआर / 2024 दिनांक: 19 अक्टूबर, 2024 महोदय, सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 19.10.2024 को अपराह्न समय लगभग 02.00 बजे क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाया गया कि जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी के किनारे 05 पिटो में उपखनिज साधारण बालू का अवैध खनन / अवैध परिवहन जिओ कर्डिनेट 285959.32 N 771152.02 E के आस-पास किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है:- पिट नं0 1- 35 मीटर लम्बाई 18 मीटर चौड़ाई तथा औसत 01 मीटर की गहराई में 630 घनमीटर बालू का अवैध खनन / अवैध परिवहन किया गया है। पिट नं0 2- 58 मीटर लम्बाई 03 मीटर चौडाई तथा औसत 1.1 मीटर की गहराई में 191.4 घनमीटर बालू का अवैध खनन/अवैध परिवहन किया गया है। पिट नं 3- 65 मीटर लम्बाई 24.5 मीटर चौडाई तथा औसत 01 मीटर की गहराई में

Scanned with OKEN Scanner

1592.5 घनमीटर बालू का अवैध खनन / अवैध परिवहन किया गया है। पिट नं0 4- 30 मीटर लम्बाई 2.8 मीटर चौडाई तथा औसत 1.5 मीटर की गहराई में 126 घनमीटर बालू का अवैध खनन/अवैध परिवहन किया गया है। पिट नं0 5- 95 मीटर लम्बाई 44 मीटर चौडाई तथा औसत 2.1 मीटर की गहराई में 8778 घनमी बालू का अवैध खनन/अवैध परिवहन किया गया है। इस प्रकार 05 पिटो में कुल 11317.9 घनमीटर साधारण बालू का अवैध खनन/अवैध परिवहन किया गया है। साधारण बालू की रायल्टी दर अंकन 65/-रू प्रति घनमीटर है। जाँच के समय मौके पर कोई भी व्यक्ति नही मिला जिससे यह ज्ञात हो सकें कि उक्त खनन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। बिना अनुमति के उपखनिज बालू का किया गया खनन/परिवहन उप्र उपखनिज परिहार नियमावली-2021 के नियम 3, 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-4 व 21 का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है। मौके पर कुल 11317.9 घनमीटर साधारण बालू की चौरी व राजस्व की क्षति की गई है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी के किनारे बिना अनुमति प्राप्त किये गये साधारण बालू की मात्रा 11317.9 घनमीटर की चोरी / राजस्व क्षति तथा अवैध खनन/अवैध परिवहन के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नक: मौके के फोटोग्राफ हस्ताक्षर अंग्रेजी 19/10/24 अपठित (अनुज कुमार) खान निरीक्षक, बागपत। मो0नं0 7739635239 नोट:- मै का0 1039 हरेन्द्र कुमार प्रमाणित करता हू की तहरीर की नकल मेरे द्वारा शब्द व शब्द कम्प्यूटर पर अलावा तकनीकि त्रुटि के अंकित की गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): NIKLESH RASTOGI Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

Scanned with OKEN Scanner

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS BAGHPAT
Rank I (Inspector)
No. 9454402959

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): बागपत | P.S. (थाना): बागपत | Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0176 | Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 06/04/2025 16:48 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शुक्रवार | Date from (दिनांक से): 04/04/2025 | Date To (दिनांक तक): 04/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 5 | Time From (समय से): 12:10 बजे | Time To (समय तक): 12:10 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): | Date (दिनांक): 06/04/2025 | Time (समय): 16:48 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): | Entry No. (प्रविष्टि सं.): 072 | Date and Time (दिनांक और समय): 06/04/2025 16:48 बजे

81
118

Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 08 कि. मी.

Beat No. (बीट सं.): हल्का सरुरपुर

(b) Address (पता): ग्राम नैथला खादर,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री अनुज कुमार खान निरीक्षक बागपत

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

81

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान व खनिज कार्यालय बागपत, बागपत, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खान व खनिज कार्यालय बागपत, बागपत, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-77396XXXXX

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

81

First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी...................... सेवा में, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बागपत, जनपद बागपत। पत्रांकः 150 / बालू खनन-एफआईआर / 2025 दिनांकः 04 अप्रैल, 2025 महोदय, सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 04.04.2025 को समय अपराह्न 12.10 बजे क्षेत्रीय भ्रमण दौरान पाया गया कि जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर में गाटा संख्या 1/2 में एक पिट में बालू का अवैध खनन व परिवहन किया गया। अवैध खनन स्थल की पैमाईश अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय सर्वे कानूनगो, बागपत के साथ सयुक्त रूप से की गयी। जिसमें 94 मीटर लम्बाई 42.5 मीटर चौडाई तथा औसत 1.45 मीटर गहराई में 5792.75 घनमीटर बालू का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है तथा उक्त खनन स्थल का जिओ कर्डिनेट 09001.284 N 771153.592 E है। साधारण बालू की दर अंकन 65/- रू0 प्रति घनमीटर है जाँच के समय मौके पर कोई भी व्यक्ति नही मिला जिससे यह ज्ञात हो सकें कि उक्त बालू खनन किन व्यक्तियों द्वारा किया गया है। मौके पर परिवहन हेतु मार्ग हरियाणा राज्य के सोनीपत जनपद से होकर गुजर रहा है। बिना अनुमति के उपखनिज बालू का खनन उप्र उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3. 58, 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन व दण्डनीय अपराध है। मौके पर कुल 5792.75 घनमीटर बालू की चौरी व राजस्व की क्षति हुई है। अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 में बिना अनुमति के किये गये अवैध बालू खनन / परिवहन के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 के सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। संलग्नकः पैमाईश आख्या / फोटोग्राफस गवाह नं0 01-श्री नन्दकिशोर क्षेत्रीय सर्वे कानूनगो, बागपत मो0नं0 97562XXXXX हस्ताक्षर अपठित गवाह नं0 02-श्री सतीश उज्ज्वल होमगार्ड नं0 269 मो0नं0 63969XXXXX हस्ताक्षर हिन्दी सतीश गवाह नं 03-श्री यशवीर सिंह होमगार्ड नं0 311 मो0नं0 94102XXXXX हस्ताक्षर हिन्दी यशवीर सिंह। हस्ताक्षर अपठित 04/4/25 (अनुज कुमार) खान निरीक्षक, बागपत। मो0नं0-77396XXXXX। नोटः- मैं का0क्लर्क 496 सुनील कुमार प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल व कायमी मुकदमा मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द (अलावा तकनीकी त्रूटि के) म0है0का0 671 सुधा सिंह से अंकित करायी गयी हैं।

15. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): DEVENDRA KUMAR Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PS BAGHPAT

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454402959

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1				-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): बागपत
P.S. (थाना): बागपत Year (वर्ष): 2025
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0372
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 29/06/2025 00:36

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): सोमवार Date From (दिनांक से): 02/06/2025 Date To (दिनांक तक): 02/06/2025

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 29/06/2025 Time (समय):00:28 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003 Date & Time (दिनांक और समय): 29/06/2025 00:28 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 08 किमी Beat No. (बीट सं.): हल्का सरुरपुर

(b) Address (पता): नैथला खादर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री अनुज कुमार खान निरीक्षक बागपत

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खान निरीक्षक बागपत,बागपत,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	खान निरीक्षक बागपत,बागपत,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7739635239

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच प्र.-I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अज्ञात1			

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी टाईपशुदा...................सेवा में , प्रभारी निरीक्षक ,कोतवाली बागपत जनपद बागपत महोदय, सादर अवगत कराना है कि दिनांक 21.06.2025 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सयुक्त रूप से क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम नैथला खादर, थानाध्यक्ष बागपत व तहसीलदार, बागपत के साथ ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 में पाये गये अवैध बालू खनन / परिवहन की जाँच की गयी। जच आख्या में उल्लिखित है कि गौरव बिल्डर्स प्रो राजीव द्वारा दिनांक 02.06.2025 को प्रार्थना-पत्र किया गया जिसमें उल्लिखित किया गया है कि गाटा संख्या 1/2 मौजा नैथला खादर में अवैध खनन माफियाओ ने अवैध खनन करके बालू चोरी कर लिया है। गौरव बिल्डर्स के उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में कार्यालय के पत्र संख्या 331 दिनांक 11.06.2025 के द्वारा प्रकरण की जच हेतु तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 21.06.2025 को ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 में हुए अवैध बालू खनन / परिवहन की जाँच की गयी। जच आख्या निम्नवत् है:- 01-ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 में नया खनन जिओ कर्डिनेट N- 28 59 59.6859 E-77 11 52.074 के आस-पास दो पिटो में बालू का खनन/परिवहन किया जाना पाया गया है जिसका विवरण इस प्रकार है:- पिट संख्या 01-पिट संख्या 01 में 32 मीटर लम्बाई, 19 मीटर चौडाई तथा औसत 1.5 मीटर की गहराई में कुल 912 घनमीटर बालू का अवैध खनन / परिवहन किया गया है। पिट संख्या 02-पिट संख्या 02 में 61 मीटर लम्बाई 31.5 मीटर चौडाई तथा औसत 1.45 मीटर गहराई में 2786 घनमीटर बालू का अवैध खनन / परिवहन किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनो पिटो से कुल 3698 घनमीटर

बालू का अवैध खनन / परिवहन किया जाना पाया गया है। 02--पूर्व में उक्त क्षेत्र में किये गये अवैध बालू खनन के संबंध में थाना कोतवाली बागपत में एफआईआर नम्बर 0888 दिनांक 19.10.2024 व एफआईआर नम्बर 0176 दिनांक 06.04.2025 को दर्ज करायी गयी थी। 03-जाँच के समय कोई भी व्यक्ति अवैध बालू खनन / परिवहन करते हुए नही पाया गया। 04-ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 से अवैध बालू खनन के परिवहन का रास्ता ग्राम गढ़मेरपुर जनपद सोनीपत, हरियाणा राज्य से होकर बनाया गया है। 05-जनपद सोनीपत के ग्राम गढ़मेरपुर के ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर मौखिक रूप से बताया गया कि कुछ लोग रात्रि में ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी में अवैध बालू खनन / परिवहन करते है तथा उक्त बालू को जनपद सोनीपत में कई स्थानो पर विक्रय करते है। अवैध खनन कर्ताओ का नाम पता बताने में ग्रामवासियों द्वारा असमर्थता व्यक्त की गयी। 06-अवैध खनन के रास्ते के पास ही चौकी गढ़मेरपुर, जनपद सोनीपत स्थित है। 07-बिना अनुमति के प्राप्त किये गये कुल 3698 घनमीटर बालू का अवैध खनन / अवैध परिवहन उप्र उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम-3, 58 व 72 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन तथा दण्डनीय अपराध है तथा 3898 घनमीटर बालू की रायल्टी 65/-रू प्रतिघनमीटर की दर से रू0 2,40,370/- तथा खनिज मूल्य 12,01,850/- रू0 की राजस्व क्षति व खनिज सम्पदा की चौरी अवैध खनन / अवैध परिवहन द्वारा की गयी है जोकि भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी.एन.एस) की सुसंगत धाराओं का भी उल्लंघन है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 में अवैध बालू खनन /परिवहन के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्व क्षति व खनिज सम्पदा का अवैध खनन/अवैध परिवहन द्वारा चौरी के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 (बी.एन.एस) की सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का कष्ट करें। संलग्नकः जाँच आख्या मूल रूप में। ह0 अग्रजी अपठित 25/06/25 (अनुज कुमार) खान निरीक्षक, बागपत। मोबाईल नम्बर 7739635239 नोट मै हे0का0 543 योगेन्द्र सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द मेरे द्वारा अलावा टैक्नीकल त्रुटि के शब्द व शब्द सीसीटीएनएस पोर्टल पर टाइप की गई है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ANKIT KUMAR Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name PS BAGHPAT
Rank I (Inspector)
No. 9454402959

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): बागपत
P.S. (थाना): बागपत   Year (वर्ष): 2026
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0097
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 12/02/2026 00:25

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	3(1)
2	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	58
3	उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021	72(1)
4	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
5	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	303(2)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): मंगलवार   Date From (दिनांक से): 27/01/2026   Date To (दिनांक तक): 27/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 1   Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 12/02/2026 Time (समय): 00:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date & Time (दिनांक और समय): 12/02/2026 00:15 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 7 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): नैथला खादर यमुना नदी क्षेत्र

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)): -

Scanned with OKEN Scanner

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मोनू

(b) Father's Name (पिता का नाम) : मुन्शीराम

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2006

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	सर्वे लेखपाल बागपत ,बागपत,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	सर्वे लेखपाल बागपत ,बागपत,बागपत,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7082944853

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	संदीप			1. ग्राम मिर्कपुर,सोनीपत,हरियाणा, भारत
2	ढीला उर्फ रामकिशोर			1. ग्राम मिर्कपुर,सोनीपत,हरियाणा, भारत
3	प्रवीन			1. ग्राम मिर्कपुर,सोनीपत,हरियाणा, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल प्रार्थना पत्र .... सेवा में , श्रीमान् थानाध्यक्ष कोतवाली बागपत जनपद बागपत। महोदय , सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी दिनांक 27/01/026 को सर्वे कानूगो के साथ ग्राम नैथला खादर मे अवैध बालू खनन की शिकायत के क्राम जांच की गई जिसमे पाया गया कि यमुना नदी क्षेत्र मे हरियाणा राज्य के जनपद सोनीपत की ग्राम गढ मिर्कपुर से होकर रास्ता बना है जिसमे आसपास के ग्राम वासियों से पूछने पर बताया गया कि संदीप , ढीला उर्फ रामकिशोर व प्रवीन पुत्र अज्ञात में निवासी ग्राम गढ मिर्कपुर जिला सोनीपत रात्रि में चोरी छुपे बालों का अवैध खनन/ परिवहन किया जाता है। शुभम व अमलेश निवासी ग्राम गढ मिर्कपुर जिला सोनीपत द्वारा बताया गया है मौके पर भारी मात्रा में औसतन 1 से 2 मीटर गहराई नैथला खादर में अवैध खनन किया गया है जिसकी मात्रा लगभग 14530 घन मीटर है बिना अनुमति के उप खनिज साधारण बालू अवैध खनन/अवैध परिवहन उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावाली 2021 के नियम 3,58,72 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा BNS की धारा 303(2) का उल्लंघन है एवं दंडनीय अपराध है। नैथला खादर यमुना नदी क्षेत्र में अवैध खनन अवैध/परिवहन करने वाले व्यक्ति संदीप , ढीला उर्फ राम किशोर , प्रवीन निवासी ग्राम गढ

मिर्कपुर जिला सानापत के विरुद्द BNS की धारा भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धारा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने की कष्ट करें। प्रार्थी हस्ता0 अपठित नामः- मोनू पुत्र मुन्शीराम पदनामः- सर्वे लेखपाल बागपत। मो0- 7082944853 । नोटः- मै का0 1039 हरेन्द्र कुमार प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर व कायमी मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टैक्नीकल त्रुटि छोडकर टाइप की गयी है।

13. Action taken: Since the above Information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): MONA SHARMA Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (जिला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name PS BAGHPAT
Rank I (Inspector)
No. 9454402959

संलग्नक-24

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

बागपत।

सेवा में,

Deputy Commissioner,

Sonipat (Haryana)

पत्रांकः 2135/ख0अनु0–बागपत/2026–27 दिनांक 13अप्रैल, 2026

विषयः– जनपद बागपत की सीमा के अन्तर्गत यमुना नदी क्षेत्र से खनन माफियाओं द्वारा उपखनिज साधारण बालू के अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम में सहयोग प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 383/ख0अनु0–बागपत/2025 दिनांक 28.06.2025 व 1007/ख0अनु0–बागपत/2026 दिनांक 28.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत जनपद बागपत की तहसील बागपत के ग्राम नैथला खादर में यमुना नदी से साधारण बालू का खनन माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7640 एकड में 06 माह हेतु स्वीकृत अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 06.03.2026 को अपने स्वीकृत क्षेत्र से रात्रि में हरियाणा राज्य की ओर से अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा अवैध खनन किये जाने के सम्बन्ध में कोतवाली, जनपद बागपत में शिकायत दर्ज करायी गयी है।

अतः पूर्व में प्रेषित पत्रों के कम में अनुरोध है कि ग्राम नैथला में यमुना नदी से खनन माफियाओं के द्वारा किये जा रहे अवैध खनन/परिवहन के सम्बन्ध में आपके जनपद से की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अस्मिता लाल)

जिलाधिकारी,

बागपत।

प्रतिलिपिः–

1– निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– पुलिस अधीक्षक, बागपत को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बागपत को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,

बागपत।

 क्रमांक -25

कार्यालय ज्ञाप

जिलाधिकारी महोदया बागपत के पत्र संख्या 2104/ख0अनु0बा0/2026 दिनांक 01.04.2026के द्वारा ग्राम नैथला खादर के गाटा संख्या 1/2 क्षेत्रफल 30.7646 एकड़ में उप खनिज बालू का खनन अनुज्ञा दिनांक 06.02.2026 के 06 माह हेतु मै0 गौरव बिल्डर श्री राजीव सिंह पुत्र श्री कालूराम निवासी बदरखा, तहसील बडौत, जिला बागपत के पक्ष में शर्तों का अधीन स्वीकृत हैं, एवं

जिलाधिकारी महोदया बागपत के पत्र संख्या 2102/ख0अनु0बा0/2026–27 दिनांक 01.04.2026 के द्वारा श्री मनीष जायसवाल, निवासी ग्राउण्ड फलोर होटल सुरेश पैलेस स्टेशन रोड पुरानी बस्ती जनपद बस्ती–272002 उ0प्र0 के पट्टा में ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से उच्चतम बोली के आधार पर ग्राम गौरीपुर खादर के गाटा संख्या 3, 4 व 5क क्षेत्रफल 14.0224है0 में उपलब्ध उप खनिज बालू का खनन पट्टा दिनांक 12.03.2026 से 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया हैं।

उक्त स्वीकृत खनन अनुज्ञा क्षेत्र में अवैध खनन/अवैध परिवाहन/आर्वर लॉडिंग की रोकथाम हेतु सतत निगरानी हेतु निम्नुसार जॉच दल गठित की गई है। जो दिनांक 01.04.2026 से 30.04.2026 तक बीच–बीच में जाकर जॉच की जाएगी।

इस विषयक उपरोक्त स्वीकृत खनन क्षेत्र में तहसील स्तर पर दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 30.04.2026 तक निम्नलिखित कार्मिकों की अधिकारी के साथ लगायी जाती है–

ड्यूटी स्थल			ग्राम– नैथला खादर		ग्राम– गौरीपुर खादर	
दिनांक	टीम संख्या	ड्यूटी का समय	नाम कार्मिक	मो0 नम्बर	नाम कार्मिक	मो0नम्बर
01.04.2026	01	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री कंवरपाल	8755145368	श्री नूर मोहम्मद	9634920201
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री पदम सिंह	9536075151	श्री देवेन्द्रपाल	9528027600
		श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत				9454416716
02.04.2026	02	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री तोखे सिंह	9456837438	श्री पवन सिंह	7465991181
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री राजपाल	9557467130	श्री सतवीर	9756773060
		श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत				9454416721
03.04.2026	03	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री दिनेश दत्तशर्मा	9639090390	श्री कृष्ण शर्मा	9536510196
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री अशोक धामा	9719373277	श्रीसुरेशचन्द शर्मा	9149104806
		श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत				9454416716
04.04.2026	04	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री शिवम राणा	9411262916	श्री प्रवीण	7500888001
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री विपिन कुमार	7017520349	श्री राहुल गुप्ता	8430101200
		श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत				9454416721
05.04.2026	01	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री पदम सिंह	9536075151	श्री देवेन्द्रपाल	9528027600
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री कंवरपाल	8755145368	श्री नूर मोहम्मद	9634920201
		श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत				9454416716
06.04.2026	02	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री राजपाल	9557467130	श्री सतवीर	9756773060
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री तोखे सिंह	9456837438	श्री पवन सिंह	7465991181
		श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत				9454416721
07.04.2026	03	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री अशोक धामा	9719373277	श्रीसुरेशचन्द शर्मा	9149104806
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री दिनेश दत्तशर्मा	9639090390	श्री कृष्ण शर्मा	9536510196
		श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत				9454416716
08.04.2026	04	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री विपिन कुमार	7017520349	श्री राहुल गुप्ता	8430101200
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री शिवम राणा	9411262916	श्री प्रवीण	7500888001
		श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत				9454416721
09.04.2026	01	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री कंवरपाल	8755145368	श्री नूर मोहम्मद	9634920201
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री पदम सिंह	9536075151	श्री देवेन्द्रपाल	9528027600
		श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत				9454416716
10.04.2026	02	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री तोखे सिंह	9456837438	श्री पवन सिंह	7465991181
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री राजपाल	9557467130	श्री सतवीर	9756773060
		श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत				9454416721
11.04.2026	03	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री दिनेश दत्तशर्मा	9639090390	श्री कृष्ण शर्मा	9536510196
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री अशोक धामा	9719373277	श्रीसुरेशचन्द शर्मा	9149104806
		श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत				9454416716
12.04.2026	04	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री शिवम राणा	9411262916	श्री प्रवीण	7500888001
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री विपिन कुमार	7017520349	श्री राहुल गुप्ता	8430101200
		श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत				
13.04.2026	01	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री पदम सिंह	9536075151	श्री देवेन्द्रपाल	9528027600
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री कंवरपाल	8755145368	श्री नूर मोहम्मद	9634920201
		श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत				9454416716
14.04.2026	02	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री राजपाल	9557467130	श्री सतवीर	9756773060

15.04.2026	03	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री अशोक धामा	9719373277	श्रीसुरेशचन्द शर्मा	9149104806
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री दिनेश दत्तशर्मा	9639090390	श्री कृष्ण शर्मा	9536510196
श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत						9454416716
16.04.2026	04	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री विपिन कुमार	7017520349	श्री राहुल गुप्ता	8430101200
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री शिवम राणा	9411262916	श्री प्रवीण	7500888001
श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत						9454416721
17.04.2026	01	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री कंवरपाल	8755145368	श्री नूर मोहम्मद	9634920201
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री पदम सिंह	9536075151	श्री देवेन्द्रपाल	9528027600
श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत						9454416716
18.04.2026	02	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री तोखे सिंह	9456837438	श्री पवन सिंह	7465991181
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री राजपाल	9557467130	श्री सतवीर	9756773060
श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत						9454416721
19.04.2026	03	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री दिनेश दत्तशर्मा	9639090390	श्री कृष्ण शर्मा	9536510196
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री अशोक धामा	9719373277	श्रीसुरेशचन्द शर्मा	9149104806
श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत						9454416716
20.04.2026	04	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री शिवम राणा	9411262916	श्री प्रवीण	7500888001
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री विपिन कुमार	7017520349	श्री राहुल गुप्ता	8430101200
श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत						9454416721
21.04.2026	01	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री पदम सिंह	9536075151	श्री देवेन्द्रपाल	9528027600
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री कंवरपाल	8755145368	श्री नूर मोहम्मद	9634920201
श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत						9454416721
22.04.2026	02	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री राजपाल	9557467130	श्री सतवीर	9756773060
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री तोखे सिंह	9456837438	श्री पवन सिंह	7465991181
श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत						9454416721
23.04.2026	03	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री अशोक धामा	9719373277	श्रीसुरेशचन्द शर्मा	9149104806
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री दिनेश दत्तशर्मा	9639090390	श्री कृष्ण शर्मा	9536510196
श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत						9454416716
24.04.2026	04	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री विपिन कुमार	7017520349	श्री राहुल गुप्ता	8430101200
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री शिवम राणा	9411262916	श्री प्रवीण	7500888001
श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत						9454416721
25.04.2026	01	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री कंवरपाल	8755145368	श्री नूर मोहम्मद	9634920201
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री पदम सिंह	9536075151	श्री देवेन्द्रपाल	9528027600
श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत						9454416716
26.04.2026	02	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री तोखे सिंह	9456837438	श्री पवन सिंह	7465991181
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री राजपाल	9557467130	श्री सतवीर	9756773060
श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत						9454416721
27.04.2026	03	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री दिनेश दत्तशर्मा	9639090390	श्री कृष्ण शर्मा	9536510196
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री अशोक धामा	9719373277	श्रीसुरेशचन्द शर्मा	9149104806
श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत						9454416716
28.04.2026	04	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री शिवम राणा	9411262916	श्री प्रवीण	7500888001
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री विपिन कुमार	7017520349	श्री राहुल गुप्ता	8430101200
श्री राघवेन्द्र पाण्डेय नायब तहसीलदार बागपत						9454416721
29.04.2026	01	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री पदम सिंह	9536075151	श्री देवेन्द्रपाल	9528027600
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री कंवरपाल	8755145368	श्री नूर मोहम्मद	9634920201
श्री अभिषेक कुमार सिंह तहसीलदार बागपत						9454416716
30.04.2026	02	प्रातः 07:00बजे से रात्रि 07:00 बजे तक	श्री राजपाल	9557467130	श्री सतवीर	9756773060
		रात्रि 07:00 बजे प्रातः 07:00बजे तक	श्री तोखे सिंह	9456837438	श्री पवन सिंह	7465991181

नोटः तहसीलदार बागपत व नायब तहसीलदार बागपत समय–समय पर चकवार रात्रि में स्थलीय निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

(अमरचन्द शर्मा)
उप जिलाधिकारी सदर

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागपत

पत्रांकः 254/एस०टी०बागपत खनन 2025—26 दिनांक 01.04.2026

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 जिलाधिकारी महोदया बागपत को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

02 पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत को सादर अवलोकनार्थ।

03 अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बागपत प्रभारी अधिकारी खनन महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृप्या राजस्व कार्मिको के साथ पुलिस कार्मिको की भी ड्यूटी लगवाने का कष्ट करें।

04 जिला खनन अधिकारी बागपत को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त वाहनों की जनपद वार सूची अद्योहस्ताक्षरी व राजस्व कार्मिको को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

05 तहसीलदार बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अभियान का सतत पर्यवेक्षण करते हुए प्रतिदिन की प्रगति से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

06 नायब तहसीलदार बागपत को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्मिको की उपस्थिति समय से सुनिश्चित कराते हुए बकाया राजस्व की वसूली हेतु वांछित कार्यवाही करते हुए दैनिक प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

07 ड्यूटी हेतु नामित उपरोक्त कार्मिक (राजस्व अमीन) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सूची में अंकित वाहन/वैद्य प्रपत्रों के बिना खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों को पकड़कर उसकी तत्काल सूचना तहसीलदार बागपत / नायब तहसीलदार बागपत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें

01/04/2026

(अमर चन्द वर्मा)
उप जिलाधिकारी, सदर
बागपत।